राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2011–2012

स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, द्वारा प्रकाशित

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में	3
2.	राजस्थान की नगर पालिकायें	4
3.	निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ एवं उनकी मुख्य गतिविधियां	5–13
4.	विभागीय बजट	14–15
5.	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	16–27
6.	अन्य महत्वपूर्ण कार्य/गतिविधियाँ	27–39
7.	वर्ष 2011–12 में विभाग द्वारा किये गयें महत्त्वपूर्ण संशोधन एवं आदेशों का संक्षिप्त विवरण	40–41
8.	राजस्थान के नगर निकायों का जिलेवार/श्रेणीवार वर्गीकरण (परिशिष्ट–I)	42–43
9.	वर्ष 2011–12 में विभाग के आयोजना भिन्न/आयोजना मद में स्वीकृत पदों का विवरण (परिशिष्ट–II)	44
10.	नगर निकायों के वर्ष 2009–2010 के आय व्यय के समंक (परिशिष्ट–III - A)	45
11.	नगर निकायों के वर्ष 2010–11 के आय व्यय के समंक (परिशिष्ट–III- B)	46
12.	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ट–IV)	47
13.	क्षैत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय कार्यालयों के कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ट–V)	48
14.	स्वायत्त शासन विभाग का प्रशासनिक संगठन (परिशिष्ट–VI)	49

राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में

❖ राज्य का कुल क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी में)	3.42
❖ राज्य की कुल आबादी (2001)	5,65,07,188
❖ (2011)	6,86,21,012
❖ राज्य में नगरीय जनसंख्या (2001)	1,32,14,375
❖ (2011)	1,70,80,776
❖ राज्य के 184 नगर निकायों की जनसंख्या (करोड़ में) (2001)	1.27
❖ राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2001)	23.38
❖ (2011)	24.89
❖ स्त्री/पुरूष अनुपात (नगरीय) (प्रति हजार) (2001)	890
❖ दशकीय वृद्धि दर (नगरीय) (2001)	31.17
❖ (2011)	29.26
❖ साक्षरता दर (नगरीय) कुल व्यक्ति (2001)	76.89
❖ साक्षरता दर (नगरीय) पुरूष (2001)	87.10
❖ साक्षरता दर (नगरीय) महिलाऐं (2001)	65.42
❖ 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (2011)	5
❖ एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या (2011)	30
❖ नगर निकायों की संख्या	184
❖ नगर निगम (5 लाख से अधिक आबादी)	5
❖ नगर परिषद (वर्ष 2001 में 1 लाख से 5 लाख तक आबादी)	13
❖ द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका (वर्ष 2001 मे 50,000–99,999 आबादी/जिला स्तर की नगर)	36
❖ तृतीय श्रेणी की नगर पलिका (वर्ष 2001 मे 25,000–49,999 आबादी)	58
❖ चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका (वर्ष 2001 मे 25,000 से कम आबदी)	72

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2011–2012

–::::–

राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 3.42 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ यह राज्य देश के दस प्रतिशत भू–भाग को अपने में समेटे हुये है। जनगणना, 2011 के आंकडो के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल आबादी 6,86 करोड हो गयी है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.50 प्रतिशत है। इसमें से 1.71 करोड़ जनसंख्या नगरों मे निवास कर रही है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.89 प्रतिशत है। राज्य में 184 नगर निकाय है, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 में 1.27 करोड थी, जो कुल जनसंख्या का 22.48 प्रतिशत है।

नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के अनेक कारण हैं यथा रोजगार के अवसर सुलभ होना, खनिज संपदा का दोहन, बड़े उद्योगों का विकास, व्यापार, थोक बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोंरंजन, ऊर्जा और पेयजल की समुचित व्यवस्था होना है।

(1) राजस्थान की नगर पालिकायें

वर्तमान में प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुल 184 नगरीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है :–

नगर निगम	नगर परिषदें प्रथम श्रेणी	नगर पालिका द्वितीय श्रेणी	नगर पालिका तृतीय श्रेणी	नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी	कुल नगर निकायों योग
5	13	36	58	72	184

राजस्थान के नगरीय निकायों की जिलेवार व श्रेणीवार सूचना परिशिष्ट ''I'' पर संलग्न है।

(2) निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ व उनकी मुख्य गतिविधियां

स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नगर निकायों द्वारा सम्पादित की जा रही अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश व प्रक्रिया आदि जारी किए जाने, उनकी पालना कराने तथा उनकी मोनिटरिंग किये जाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन एवं निष्पादन हेतु निदेशालय में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे है :–

(क) संस्थापन
(ख) भूमि प्रकोष्ठ।
(ग) परियेाजना प्रकोष्ठ।
(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ।
(ड) लेखा प्रकोष्ठ।
(च) नगर पालिका संस्थापन प्रकोष्ठ (एस.एम.ई)।
(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ।
(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ।
(झ) विधि प्रकोष्ठ।
(ञ) विविध प्रकोष्ठ।
(ट) विधानसभा प्रकोष्ठ।

इसके अलावा कुछ गतिविधियों का निष्पादन कार्य 6 संभाग मुख्यालयों पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। भरतपुर में भी संभागीय मुख्यालय की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इन प्रकोष्ठों के द्वारा संपादित किये जा रहे मुख्य–मुख्य कार्यो एवं गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार अंकित है :–

(क) संस्थापन एवं भूमि प्रकोष्ठ :–

संस्थापन एवं भूमि प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :–

(i) राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का संस्थापन (आर.एम.एस.)

इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों – आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी–II, अधिशाषी अधिकारी–III, अधिशाषी अधिकारी–IV, राजस्व अधिकारी–I, राजस्व अधिकारी–II, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित, वरिष्ठ व साधारण वेतन श्रृंखला) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, कर–निर्धारक एवं विधि अधिकारी के पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति तथा भर्ती संबंधी कार्य संपादित किये जाते है।

वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	माध्यम
1.	आयुक्त	34	24	10	पदोन्नति
2.	अधिशासी अधिकारी–II	49	28	21	पदोन्नति
3.	अधिशासी अधिकारी–III	58	24	34	पदोन्नति
4.	अधिशासी अधिकारी–IV	72	53	19	सीधी भर्ती
5.	राजस्व अधिकारी–I	15	2	13	पदोन्नति
6.	राजस्व अधिकारी–II	54	13	41	सीधी भर्ती
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	3	2	1	पदोन्नति
8.	लेखाधिकारी	10	8	2	पदोन्नति
9.	सहायक लेखाधिकारी	22	9	13	पदोन्नति
10.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	3	2	1	पदोन्नति
11.	अग्निशमन अधिकारी	10	7	3	पदोन्नति
12.	स्वास्थ्य अधिकारी (च.वे.श्रृ.)	3	0	3	पदोन्नति
13.	स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृ.)	4	0	4	पदोन्नति
14.	स्वास्थ्य अधिकारी	17	4	13	सीधी भर्ती
15.	विधि अधिकारी	3	2	1	पदोन्नति
16.	कर निर्धारक	65	20	45	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति
	योग	**422**	**198**	**224**	

राजस्थान नगर पालिकाओं के तकनीकी अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी का विवरण

क्रं.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	माध्यम
1.	मुख्य अभियन्ता	1	प्रतिनियुक्ति	1	पदोन्नति
2.	अति. मुख्य अभियंता (सिविल)	2	प्रतिनियुक्ति	2	पदोन्नति
3.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	7	3+1	3	पदोन्नति
4.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	24	19	5	पदोन्नति
5.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	01	01	–	पदोन्नति
6.	अधिशाषी अभियन्ता (मेकेनिकल)	03	02	01	पदोन्नति
7.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	110	99 प्रतिनियुक्ति सहित	11	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
8.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	07	06	01	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
9.	सहायक अभियन्ता (मेकेनिकल)	05	2	(2 सीधी भर्ती) (3 पदोन्नति)	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
10.	कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ (सिविल)	427	375 प्रतिनियुक्ति सहित	52	सीधी भर्ती
11.	कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ (मेकेनिकल)	10	03	07 सीधी भर्ती	JEN सीधी भर्ती ES पदौन्नति
12.	कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ (विद्युत)	36	22	14 सीधी भर्ती	ES पदौन्नति

वर्ष 2010–11 में निदेशालय स्तर से सी.सी.ए. नियम 16 के तहत दिनांक 31.12.2010 से 15.02.2012 तक 25 अधिकारियों/कर्मचारियो को आरोप–पत्र दिये गये हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रकरणों में 8 व अन्य प्रकरणों में 4 अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित हैं, जिनका मुख्यालय निदेशालय व सम्बन्धित डी.डी.आर कार्यालय में रखा गया है।

आयुक्त के कुछ पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिशाषी अधिकारी, तृतीय, राजस्व अधिकारी–प्रथम, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित) स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ), लेखाधिकारी के पदों की रिक्त पदों पर पदोन्नति वर्ष 2005–06 तक की जा चुकी है। सहायक लेखाधिकारी व अग्निशमन अधिकारी पद की वर्ष 2006–07 तक एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद की पदोन्नति वर्ष 2007–08 तक डी.पी.सी. की जा चुकी है।

(ii) संस्थापन निदेशालय

निदेशालय के अधीन योजना एवं आयोजना भिन्न मदों के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के कुल पदो का विवरण निम्नानुसार है :–

पद	आयोजना भिन्न	आयोजना
राजपत्रित	25	13
अराजपत्रित	99	45

निदेशालय में आयोजना भिन्न मद में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का संस्थापन कार्य इसी प्रकोष्ठ द्वारा देखा जा रहा है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्गीकृत पदों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है। निदेशालय के प्रशासनिक संगठन की सूचना परिशिष्ट–V पर उपलब्ध है।

(iii) भूमि शाखा का कार्य

राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत खांचा भूमि, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थाओं, केन्द्रीय/राजकीय कार्यालयों व आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार को स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाकर निस्तारित किये जाते हैं। नगर निकायों में कच्ची बस्ती सर्वे एवं कृषि भूमि नियमन से संबंधित कार्यो का निस्तारण इस अनुभाग से किया जाता है।

(ख) परियोजना प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1989 में की गयी थी। वर्तमान में इसके प्रभारी अधिकारी परियोजना निदेशक है, जिनके पास मिशन निदेशक का अतिरिक्त चार्ज भी हैं। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं यथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना का क्रियान्वयन, विरासत संरक्षण व विकास योजना, शहरी जन सहभागी योजना, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास परियोजना तथा लघु एवं मध्यम कस्बों में आधारभूत ढाचाँ विकास योजना आदि के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर नगर निकायों/कार्यकारी एजेंसियो को आवंटित करना, भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, इन योजनाओं के अंतर्गत हुई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु जिला परियोजना/परियोजना अधिकारियों की बैठक आयोजित कराना, योजनाओं की क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उच्च स्तरीय नीति निर्धारण समिति एवं उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित कराना, बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करना, राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाना, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं हेतु अधिकारियों का मनोनयन करना है।

परियोजना निदेशक के अधीन 1 उप निदेशक (सांख्यिकी), एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं एक जनसम्पर्क अधिकारी का पद मुख्यालय पर तथा 9 जिला परियोजना/परियोजना अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। योजना मद के अंतर्गत स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारियों का संस्थापन भी इसी प्रकोष्ठ द्वारा देखा जाता है।

(ग) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ :–

नगरीय निकायों को उनके विकास कार्यों, ESCO आधारित लाईटों का संधारण व रख–रखाव तथा सेनिटेशन हेतु तकनीकी राय देने, निदेशक, स्थानीय निकाय के पास स्वीकृति हेतु प्राप्त निविदा आदि का परीक्षण कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने संबंधी कार्यवाही तथा निर्माण कार्यों के संदर्भ में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच करने व अभियांत्रिकी सेवाओं में सुधार लाने आदि के लिये इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अधीक्षण अभियंता है। इनके सहयोग हेतु एक पद अधिशाषी अभियन्ता व एक सहायक अभियंता का पद मुख्यालय पर है। इस प्रकोष्ठ द्वारा देखे जा रहे अन्य प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैः–

पचास लाख रूपयों से अधिक राशि के तकनीकी अनुमानों की स्वीकृति देना, बाढ/ अतिवृष्टि से हुयी क्षति से संबंधित कार्य, सूखे शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, नगर पालिकाओं द्वारा वितीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में परीक्षण, नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के संबंध में आने वाली कठिनाईयों बाबत परामर्श, भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त तकनीकी मामलों का संधारण, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धन,

बी.ओ.टी. आधारित योजना से संबंधित कार्य, मुक्तिधाम योजना, शहरी पुनर्रूद्धार योजना, वर्षा जल संरक्षण का कार्य, सिटी सेनीटेशन प्लान, सिटी डवलपमेन्ट प्लान, रेन बसेरों का निर्माण, रखरखाव व संचालन कार्य, स्ट्रीट वैण्डर्स कल्याण कायक्रम आदि।

(घ) लेखा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी है। इनके अधीन निदेशालय मुख्यालय पर एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, 2 लेखाधिकारी एवं 7 लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत हैं।

लेखा शाखा द्वारा सामान्य अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान एवं चुंगी पुनभर्रण हेतु अनुदान की स्वीकृतियां जारी की जाती है। वर्ष 2008–09 से सामान्य अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है। निदेशालय लेखा शाखा द्वारा नगर निगमों/परिषद्ों/पालिकाओं के क्रय, बजट एवं वित्त व लेखा सम्बन्धी ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन/स्वीकृतियां भी जारी की जाती हैं, जो इन संस्थाओं को प्रदत्त अधिकारों से अधिक हो।

लेखा शाखा द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदान के लेखों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संधारण कार्य किया जाता है तथा 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार को भिजवाये जाते हैं। महालेखाकार के अंकेक्षण आक्षेप एवं ड्राफ्ट पैरा संबंधी कार्य निष्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच समय–समय पर कराई जाती है तथा नगर निकायों का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, उन अंकेक्षण रिपोर्टों की पालना भी इस शाखा द्वारा करायी जाती है।

(ड.) नगर पालिका प्रस्थापना प्रकोष्ठ (एस.एम.ई.) :–

इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) हैं। इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :–

1. राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों 1963 के अंतर्गत विभिन्न नगर निगम/परिषद/पालिका मे कार्यरत अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के सभी कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण/आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना।
2. राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1964 के अंतर्गत समस्त नगर निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना।
3. उक्त दोनों संवर्गों के स्थानान्तरण संबंधी प्रकरण।
4. राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से प्राप्त मांग पत्रों का निस्तारण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का कार्य आदि।

5. नगर पालिका / परिषद / निगम में सफाई व्यवस्था अनुबंध पर श्रमिक रखने की स्वीकृति संबंधी कार्य।

6. अग्निशमन सेवा संबंधित समस्त कार्य।

(च) सांख्यिकी प्रकोष्ठ :–

विभाग की वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को समेकित कर विभाग की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना तैयार कर आयोजना विभाग को भिजवाना, निदेशालय के योजना से संबंधित प्रकोष्ठों से वित्तीय भौतिक प्रगति प्राप्त कर आयोजना विभाग में आयोजित बैठकों में भाग लेना। नगर निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आंकडों का संकलन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना, विशिष्ट संघठक योजना एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनके वित्तीय भौतिक उपलब्धियों की सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित करना, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण संबंधित टिप्पणी तैयार करना तथा इनकी अनुपालना रिपोर्ट मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं वित्त विभाग, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करना, राज्य स्तरीय आयोजना समन्वय समिति की बैठक, जिला आयोजना एवं बीआरजीएफ योजना की मानिटरिंग आदि कार्य देखे जाते हैं। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक (सॉख्यिकी) है। इनके अधीन एक सांख्यिकी सहायक एवं संगणक का पद स्वीकृत है। संगणक का पद रिक्त है।

(छ) सतर्कता प्रकोष्ठ :–

विभाग में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक निदेशक (सतर्कता) हैं, जिनके अधीन 5 वरिष्ठ लिपिक कार्यरत है।

नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के चुने हुये प्रतिनिधि यदि पद का दुरूपयोग करते है तथा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करते है, तो उनके विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत कार्यवाही तथा अध्यक्ष/सदस्यों को निलम्बित कर निष्कासन की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में चुने जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जांच कराई जाकर दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा–39 के अंतर्गत कार्यवाही कर उन्हें निलंबित कर या सीधे ही प्रकरण न्यायिक जांच में भेज दिया जाता है। न्यायिक जांच में आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सदस्यता से निष्काषित किया जाता है। दिनांक 27.11.1993 के पश्चात् 2 से अधिक सन्तान वाले व्यक्ति नगरीय निकायों का चुनाव नहीं लड सकता परन्तु दिनांक 27.11.93 से 27.11.95 के मध्य एक अतिरिक्त सन्तान होने पर भी चुनाव लडने की छूट दी गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 27.11.95 के बाद दो से अधिक सन्तान होने पर नगरीय निकायों का चुनाव लडने के अयोग्य माना जाता है। इस प्रकार दिनांक 27.11.95 के पश्चात् पूर्व में दो संतान होते हुये अतिरिक्त संतान यदि जनप्रतिनिधियों के होती है, तो उनकी जांच कराई जाकर आरोप सिद्ध पाये जाने पर उन्हें निलंबित कर प्रकरण न्यायिक जांच में भेजा जाता है। न्यायिक जांच में आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है।

वर्ष 2009–10 में 7 निर्वाचित सदस्यों को निलम्बित किया गया तथा 22 निर्वाचित सदस्यों के प्रकरण न्यायिक जांच में भिजवाये गये। न्यायिक जांच उपरान्त आरोप सिद्ध होने पर 10 सदस्यों को आगामी 6 वर्षो के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनवरी, 2011 तक की अवधि में विभिन्न नगर निकायों के निर्वाचित 3 अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष को निलम्बित किया गया है।

(ज) विधि प्रकोष्ठ :–

- इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी सहायक विधि परामर्शी हैं व इनके सहयोग हेतु 1 मुख्य विधि सहायक, 3 विधि सहायक, 1 स्टेनो, 1 कार्यालय सहायक, 2 वरिष्ठ लिपिक ,तीन कनिष्ठ लिपिक विधि अनुभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर पीठ व अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार तथा नगर पालिकाओं के विरूद्ध दायर याचिकाओं/दावों के संबंध में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं पर्यवेक्षण, परामर्श, परीक्षण का कार्य पेनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों की नियुक्ति, अन्य अनुभागों द्वारा प्राप्त पत्रावलियों पर राय देने, जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत जांच कार्य में विभागीय पैरवी का कार्य किया जाता है तथा अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध लम्बित जांचों में भी पैरवी की जाती हैं।
- विधि अनुभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन व अन्य नियमों जैसे – राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, भूमि निष्पादन नियम, सामान क्रय एवं अनुबंध नियम, 1974 में संशोधन का कार्य किया जाता हैं। राज्य की नगर निकायों से प्राप्त उप नियमों को स्वीकृत करवाना, प्रशासनिक विभाग के अधीन समसत अधिनियम/नियम का प्रारूपण एवं उनमें समय पर किये जाने वाले संशोधन।
- इस अनुभाग द्वारा राजस्थान की 184 नगर निकायों में चुनाव के कार्य की देख रेख की जाती हैं तथा वार्डो का आरक्षण, परिसीमन एवं नगरीय निकायों का गठन किया जाता है।
- प्रकोष्ठ द्वारा राजस्थान की समस्त नगर परिषद, पालिकाओं के सीमा विस्तार एवं संकुचन का कार्य किया जाता है।
- समस्त निकायों की मंडल बैठकों व समितियों की बैठकों में पारित प्रस्तावों व आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों द्वारा प्रेषित असहमति टिप्पणी के सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण किया जाकर यदि प्रस्ताव विधि विरूद्ध है तो उनको निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। नगरीय निकायों में मनोनीत/सहवृत सदस्यों (पार्षद) की नियुक्ति करना/हटाना संबंधित समस्त कार्य।
- राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त कार्य।

(झ) विविध प्रकोष्ठ :–

नगरीय निकाय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर मूर्ति स्थापना तथा चौराहों एव रास्तों के नामकरण सम्बन्धी नीति निर्धारण एवं प्रस्तावों पर यथोचित

कार्यवाही, अक्षय कलेवा योजना की मॉनीटरिंग, नगरीय विकास कर एवं अग्निशमन सम्बन्धी समस्त कार्य, नगरीय निकायों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के सम्बन्ध में बिजली के बकाया बिलों के प्रकरण तथा ऐसे समस्त प्रकरण जो विभाग के अन्य प्रकोष्ठों/अनुभागों के कार्यक्षेत्र से बाहर के हों, वे सभी विविध अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

(ञ) विधान सभा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित नगर निकायों से प्राप्त कर भिजवाना, विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मंत्री, नगरीय विकास व स्वायत शासन विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति करवाना एवं ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/स्थगन के उत्तर तैयार कर भिजवाना एवम् विधानसभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवं याचिकाओं के कार्यों की क्रियान्विति करना। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उपनिदेशक (प्रशासन) है।

(य) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ :–

विभाग के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ में एक जनसम्पर्क अधिकारी पद स्थापित है, इनके द्वारा मुख्य रूप से राज्य सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार, समय–समय पर प्रेस नोट, विज्ञापन, विशिष्ट लेख इत्यादि जारी किये जाते है।

प्रतिदिन राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों का अवलोकन उच्च स्तर पर करवाया जाता है। समय–समय पर विभागीय समारोहों एवं बैठकों के कवरेज व विभागीय विज्ञापनों के प्रारूप तैयार कर प्रकाशन करवाया जाता है। प्रेस कान्फ्रेंस एवं प्रेस वार्ताओं के आयोजनो एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में विभागीय भागीदारी निभाई जाती है।

इसके अलावा विभाग में समय–समय पर होने वाले प्रकाशनों हेतु सामग्री तैयार कर उनका मुद्रण करवाना। मंत्री महोदय, शासन सचिव एवं निदेशक द्वारा भिजवाये जाने वाले संदेश तैयार करना तथा मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न समारोह में स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में दिये जाने वाले उद्‌बोधनों के प्रारूप तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं पत्रकारों कों संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार सीएमएआर की गृह पत्रिका का सम्पादन भी किया जाता है। समय–समय पर विभाग के संबंध में प्रकाशित ऋणात्मक समाचारों की रिपोर्ट मंगवाकर उच्च स्तर पर अवलोकनार्थ भेजी जाती है तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यो का सम्पादन व CMO द्वारा प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही का जाती है।

(1) प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया का प्रबंधन कार्य तथा इलेक्ट्रिक मिडिया में विज्ञापन बनवाकर जारी करवाने सम्बन्धी कार्य भी जनसंपर्क अधिकारी द्वारा किये जाते है।

जनसंपर्क निदेशालय से संबंधित कार्यो को भी विभाग के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा संपादित किये जाते है।

(र) उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय :–

विभाग के अधीन 6 क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर एवम् उदयपुर में है। इनके द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य है : क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले नगर निगम/परिषद/पालिका के सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका के बजट पारित करना, नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के बकाया अंकेक्षण आक्षेपों, प्रारूप प्रालेखों, महालेखाकार के आक्षेपों, गबन प्रकरणों की अनुपालना करवाकर नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी कर आक्षेपों का निस्तारण करवाना। इस कार्यालय की वित्तीय सीमाओं तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, लंबित न्यायिक प्रकरणों की मोनिटरिंग, अधीनस्थ नगर पालिकाओं का निरीक्षण करना, कर्मचारियों के संस्थापन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 335(5) की अपील सुनना एवं निस्तारण, क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्गत 16 एवं 17 सी.सी.ए की जांच करना, प्राप्त शिकायतों पर जांच करना, राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सेवा चयन आयोग पदोन्नति मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य करना एवं क्षेत्राधिकार की नगर पालिकाओं में चल रही विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग करना।

(ल) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान (सीएमएआर) :–

C.M.A.R., यूनाईटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इन्टरनेशनल डवलपमेंट (USAID), भारत सरकार के मध्य द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत, राज्यों एवं नगर निकायों को क्षमता वर्धन एवं व्यवसायिक प्रबन्धन हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। USAID एवं United States Asia Environmental Partnership (US-AEP) की गतिविधियों के क्रम में सिटी मैनेजर्स की प्रबन्धकीय विकास एवं नगरीय निकायों के क्षमता वर्धन हेतु कई राज्यों में सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। यह कार्य International City/Country Management Association (ICMA) के विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है। सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्था निकायों द्वारा प्रदत्त सदस्यता शुल्क के आधार पर कार्य करती है। यह संस्था स्थानीय निकायों को उनके कार्य बेहत्तर ढ़ंग से एवं तकनीकी रूप से करने में प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित कराती हैं तथा इनमें समन्वय स्थापित करती है। इसके अलावा संस्था नगर निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों का आलेखन कर स्थानीय एवं देश विदेश के नगर निकायों में आदान–प्रदान करती है। सीएमएआर द्वारा हर तीन माह में एक न्यूज लेटर भी प्रकाशित किया जाता है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2011–12 की पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एसोसिएशन को राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजन करने व अन्य संबंधित कार्यो के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया हैं साथ ही वर्ष 2009–10 में संस्था द्वारा शहरी स्वच्छता नीति के अन्तर्गत राजस्थान के प्रथम श्रेणी के 7 शहरों में ''सिटी सैनिटेशन रेटिंग'' का कार्य भी किया गया हैं।

13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सर्विस लेवल बेंच मार्किंग करने हेतु संस्था द्वारा निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) विभागीय बजट

स्थानीय निकाय विभाग का आयोजना भिन्न मद का संपूर्ण व्यय बजट मद ''2217'' शहरी विकास, 80–सामान्य, 100–निदेशन एवं प्रशासन (1) स्थानीय निकायों का संचालन से वहन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 का वास्तविक व्यय तथा 2011–12 के प्रावधित बजट एवं संशोधित बजट प्रावधान की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू. में)

क्रं. स.	**बजट मद/उप मद**	**वास्तविक व्यय 2010–11**	**बजट प्रावधान 2011–12**	**संशोधित बजट प्रावधान 2011–12**
1.	संवेतन	353.27	450.00	
2.	यात्रा व्यय	0.99	1.00	
3.	चिकित्सा व्यय	20.07	2.75	
4.	कार्यालय व्यय	43.49	43.50	
5.	वाहन संधारण	0.70	0.70	
6.	विविध व्यय			
7.	पेंशन योजना के अन्तर्गत अभिधान	0.86	0.86	
8.	कार्यालय वाहनों का क्रय			
9.	लेखन सामग्री			
10.	वाहनों का किराया	1.96	2.00	
11.	अनुरक्षण			
12.	किराया, रेट, और कर/रॉयल्टियां			
13	वर्दियां व अन्य सुविधाऐं	0.07	0.08	
	योग			

नोट :– संशोधित बजट प्रावधान 2011–12 बजट निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित नही किये गये है।

उपरोक्तानुसार बजट में प्रावधित राशि का उपयोग निदेशालय तथा 6 संभागीय स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालयों–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर को उनकी आवश्यकतानुसार वेतन–भत्तों, कार्यालय व्यय, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता आदि हेतु बजट राशि आवंटित की जाती है।

(राशि लाख रु. में)

क्रं. स.	**बजट मद /उप मद**	**वास्तविक व्यय 2010–11**	**बजट प्रावधान 2011–12**	**संशोधित बजट प्रावधान 2011–12**
	आयोजना भिन्न	**8288.50**	**8288.77**	

1.	समान्य अनुदान (विद्युत वितरण कनेक्शन हेतु)			
2.	विशेष अनुदान			
3.	अन्य सहायता (पीएसपी) पीएचईडी को हस्तान्तरण			
4.	13वां वित्त आयोग अनुदान	11135.64	17326.46	18092.46
5.	चुंगी पुनर्भरण हेतु अनुदान	79699.14	87781.55	
	योग			
	आयोजना			
1	अल्प लागत शौचालयों हेतु अनुदान	23.76	0.01	0.01
2	राज्य वित्त आयोग अनुदान	13212.00	14400.00	15070.00
3	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र+राज्य)	1955.31	2400.00	7537.72
4	हेरिटेज वाक/विरासत सरंक्षण प्रोजेक्ट	0.00	0.01	0.01
5	शहरी जन सहभागी योजना	2335.39	1000.00	3500.00
6	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान (आरओबी)	1790.00	7000.00	2254.46
7	चूरू शहर में सडक एवं जल निकासी हेतु अनुदान	30.00	0.01	0.01
8	अग्निशमन सेवाऐं	0.00	0.01	342.25
9	जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन	7701.20	35146.00	14245.00
10	आईएचएसडीपी	11654.98	13458.00	5453.00
11	यूआईडीएसएसएमटी	0.00	17021.00	11552.00
12	रेन बसेरा	0.00	0.00	1000.00
13	नगर निकायों को प्रोत्साहन राशि	0.00	0.02	0.02
14	निर्माण श्रमिकों के लिये शेड, शौचालय आदि का निर्माण	0.00	0.02	0.02
15	आर.यू.डी.एफ	5000.00	4500.00	4500.00
16	राजीव आवास योजना			0.01
	योग			

नोटः– संशोधित बजट प्रावधान 2011–12 बजट निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं।

(4) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(1) राज्य वित्त आयोग अनुदान

राज्य सरकार द्वारा गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम सिफारिश के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु नगरीय निकायो को कुल 282.82 करोड़ की सिफारिश की है। नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2010–11 में 132.12 करोड़ हस्तांतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत 144 करोड़ के प्रावधान को संशोधित कर 150.70 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु बजट निर्णायक समिति को प्रस्तुत कर दिये गये है। वर्तामन वित्तीय वर्ष में नगरीय निकायों को राशि 98.75 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।

(2) तेरहवां वित्त आयोग अनुदान

13 वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–15 के लिए प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार 5 वर्ष में कुल 780.90 करोड़ रूपये जनरल बैसिक ग्रांट के रूप में, जनरल परफोरमेंस अनुदान एवं स्पेशल एरिया बेसिक अनुदान वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट में वर्णित 9 शर्तो की पूर्ति करने पर सभी राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश की है, जिसके तहत वित्तिय वर्ष 2011–12 से 2014–15 हेतु 413.40 करोड़ रूपये जनरल परफोरमेंस ग्रांट व वर्ष 2010–15 हेतु स्पेशल एरिया बैसिक ग्रांट 88.20 लाख रूपये व वर्ष 2011–12 से 2014–15 हेतु स्पेशल एरिया परफोरमेन्स ग्रान्ट में 61.74 लाख रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। वित्तिय वर्ष 2010–11 में 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जनरल बैसिक ग्रांट के अन्तर्गत राशि रूपये 111.18 करोड़ रूपये व स्पेशल एरिया ग्रांट के अन्तर्गत राशि रूपये 17.64 लाख नगरीय निकायों को हस्तांतरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में जनरल बैसिक अनुदान 68.28 करोड, स्पेशल एरिया बैसिक अनुदान 8.82 लाख एवं जनरल परफोरमेंस अनुदान 23.76 करोड राज्य की नगरीय निकायों को आवंटित किये जा चुके है। इस राशि को तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवंटन किया जाकर इसका उपयोग ई–गवर्नेंस व आधारभूत विकास कार्यो पर किये जाने का प्रावधान है।

(3) पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) 14 अगस्त 2006 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लागू की गई है। इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है तथा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन राज्य की सभी नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवारों का निःशुल्क बीमा किया जाता है।

इस योजना में राशि का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्नलिखित लाभ देय होता है :–

1. सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30,000 रूपये।
2. दुर्घटना की स्थिति में :–

(क) मृत्यु होने पर, स्थायी व पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर, 2 आंख या 2 हाथ/पैर और एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 75,000 रूपये।
(ख) एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 37500 रूपये।

3. बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को 100 रूपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से तिमाही आधार पर छात्रवृति अधिकतम 4 वर्षो के लिए देय है। छात्र के अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृति का भुगतान देय नही है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 1738 मृत्युदावों एवं 36085 छात्रवृत्ति दावों, वर्ष 2009–10 में 2130 मृत्युदावों एवं 39976 छात्रवृत्ति दावों तथा वर्ष 2010–11 में 1947 मृत्युदावों एवं 39943 छात्रवृति दावों का भुगतान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 93 मृत्युदावों एवं 802 छात्रवृति दावों का भुगतान किया जा चुका है।

(4) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

केन्द्र प्रवर्तित यह योजना 1 दिसंबर, 1997 से आरंभ की गयी, योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत शहरी गरीबों के चयनित परिवारों की महिलाओं की त्रिस्तरीय सामुदायिक संरचना (पडौस समूह, परिवेश समिति, एवं सामुदायिक विकास समिति) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कर उनकी सहभागिता एवं सिफारिशों के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। गत 5 वर्षो (11वीं पचंवर्षीय योजना अवधि) में योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :–

(Amount in Rs. Lacs and others in persons)

वित्तीय प्रगति		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012 (माह दिस., 11तक)	
भारत सरकार से प्राप्त राशि		1832.21		1386.70		1499.97		2932.96		**4187.60** आवंटन	
व्यय राशि		751.50		1018.77		1323.23		1206.18		**702.72**	
क्र.स.	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	**USEP**	7126	8729	1470	8332	1470	9404	1470	7305	**3681**	**2350**
2	**UWSP**	-	103	-	71	-	22	-	48	**-**	**112**
3	**Step-up**	8909	11461	11761	10387	11761	5315	11761	3355	**14761**	**3550**
4	**UWEP (मानव दिवस लाख में)**	-	0.96	-	1.97	-	1.77	-	1.61	**-**	**0.64**

इस योजना के दो मुख्य घटक है :–
(अ) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ब) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

(अ) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम : इस घटक के तहत निम्न उप घटक है :–

(i) स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान

चयनित पात्र परिवारों को अपने स्वयं के व्यवसाय की स्थापना हेतु अधिकतम 2.00 लाख रू तक की परियोजना लागत के अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम अनुदान 50000 रू), 5 प्रतिशत मार्जन मनी के रूप में लाभार्थी का योगदान तथा शेष राशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। योजना में महिलाओं को 30 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत एवं विकलांगों को 3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित करने का प्रावधान है।

इस घटक के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 3681 के लक्ष्यों के विरूद्व 2350 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(ii) स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण(स्टेप–अप)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों यथा बढईगिरी, लुहारगिरी, कारीगर, बिजली का काम, टीवी/फ्रिज रिपेयर, कम्प्यूटर, रेडिमेड वस्त्रों की सिलाई आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 300 घंटे व 3 माह है तथा प्रति प्रशिक्षणार्थी 10000 रू. तक अधिकतम व्यय का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षणार्थी का वजीफा, सामग्री लागत, एवं अन्य प्रशिक्षण व्यय की राशि भी सम्मिलित है। इस घटक के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में 14671 के लक्ष्यों के विरूद्व माह दिसम्बर, 2011 तक 3550 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(iii) शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (UWSP)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को किसी व्यवसाय /कौशल में प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभकारी परियोजनायें लगाने हेतु प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में कम से कम 5 अथवा अधिक महिलाओं के समूह को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या रू. 60,000/– प्रति सदस्य या रू. 3,00,000/– प्रति दल जो भी न्यूनतम हो राशि का अनुदान देने का प्रावधान है। इस घटक के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 10 समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनमें 112 सदस्य हैं।

(iv) बचत व साख समिति

इस योजना में शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत डालने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों के गठन का प्रावधान है ताकि वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धन राशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सकें। यदि ये महिला स्वयं सहायता समूह एक साल तक सफलतापूर्वक अपना पैसा बैंक में जमा कर आपस में रूपयों का लेन–देन करते है तो इन समूहों को बचत एंव साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 2,000 रूपये की दर से (अधिकतम 25,000 रू) अनुदान के रूप में रिवोल्विंग फण्ड के रूप में दिये जाने का भी प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 546 स्वयं सहायता समूह बनाये गये व 67

बचत एंव साख समितियों का गठन किया गया, वर्ष 2008–09 में 486 स्वयं सहायता समूह बनाये गये व 39 बचत एंव साख समितियों का गठन किया गया, वर्ष 2009–10 में 245 स्वयं सहायता समूह बनाये गये व 38 बचत एवं साख समितियों को गठन किया गया तथा वर्ष 2010–11 में 84 स्वयं सहायता समूह बनाये गये व 21 बचत एवं साख समितियों को गठन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 163 स्वंय सहायता समूह बनाये गये व 25 बचत एवं सांख समितियों का गठन किया जा चुका है।

(v) सामुदायिक ढाँचा

इस घटक में उपलब्ध कराई गयी राशि से समुदाय को सशक्त करने के साथ–साथ चिकित्सा शिविर एवं जन चेतना शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2007–08 में 1848 चिकित्सा शिविर एवं 1986 जन चेतना शिविर आयोजित किये गये, वर्ष 2008–09 में 917 चिकित्सा शिविर एवं 1166 जन चेतना शिविर आयोजित किये गये, वर्ष 2009–10 में 753 चिकित्सा शिविर एवं 727 जन चेतना शिविर आयोजित किये गये तथा वर्ष 2010–11 में 250 चिकित्सा शिविर एवं 241 जन चेतना शिविर आयोजित किये गये। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 226 चिकित्सा शिविर एवं 181 जनचेतना शिविर आयोजित किये जा चुके है।

(vi) आधारभूत संरचना

इस घटक में उपलब्ध कराई गयी राशि का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्थान हेतु आवश्यक बेकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज कायम करना है। इस घटक में रेहडी बाजार का विकास, उत्पादन बिक्री केन्द्र निर्माण, शहरी गरीबों के छोटे बाजारों में मूलभूत सुविधाओं का विकास, उनके द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं के ट्रेडमार्क हेतु व्यय, उत्पादन की बिक्री के लिए प्रचार प्रसार व पैकिंग हेतु डिजाईनिंग व्यय का प्रावधान है।

(ब) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र मे गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पतियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग कर उन्हें मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इन परिसम्पतियों में सामुदायिक सेन्टर, वर्षा जल निकास, सड़कें, रात्रि निवास, मिड–डे मिल स्कीम के तहत प्राथमिक पाठशालाओं में किचन शेड आदि का निर्माण किया जाता है। यह कार्यक्रम 5 लाख तक जनसंख्या वाली निकायों में ही लागू है। इस कार्यक्रम में निर्माण हेतु मेटेरियल : लेबर का अनुपात 60 : 40 का होना अनिवार्य है। इस घटक के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 0.64 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया जा चुका है।

(5) विरासत संरक्षण योजना

विरासत संरक्षण योजना राज्य सरकार द्वारा 8 दिसम्बर, 2004 को लागू की गई। इस योजना में विरासत एवं पर्यटन महत्त्व की दृष्टि से 31 निम्न शहरों का चयन किया गया है :– अजमेर, अलवर, बाँसवाडा, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, छबडा, चित्तौडगढ़, चौमू,

डीग, डूँगरपुर, फतेहपुर, जैसलमेर, झालावाड, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, मण्डावा, नवलगढ़, पुष्कर, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर, खेतडी, चूरू, रतननगर, कामां, पीलीबंगा, नाथद्वारा एवं झालारापाटन एवं जयपुर।

चयनित शहरों में एक हेरिटेज प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

चयनित स्थानीय निकायों द्वारा विरासत/पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण के लिये हेरिटेज महत्त्व के स्मारकों, भवनों, हवलियों के आसपास साफ–सफाई, रख–रखाव, रोशनी, सडक निर्माण, फुटपाथ निर्माण, सडक के किनारे नाली निर्माण, रोड लाईट, शौचालय, मूत्रालय, साईनेजेज, बैंचे लगाना, खुले चौक, पार्किंग स्पेस, टूरिस्ट बूथ, आदि के कार्य किये जा रहें हैं।

इस योजना अन्तर्गत अब तक 375 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 330 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। गत वर्षो से योजना में कोई राशि प्राप्त नही हुई है।

(6) शहरी जनसहभागी योजना

शहरी विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग प्राप्त कर शहरों में विकास कार्य करवाये जाने के उद्देश्य से "शहरी जन सहभागी योजना" राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2004 में आरम्भ की गई। वर्ष 2004–05 में संभाग मुख्यालय की 6 नगर निकायों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया व वर्ष 2005–06 में राज्य की समस्त नगर निकायों में इसका क्रियान्वयन आरम्भ किया गया। इस योजना के दो प्रमुख भाग निम्न हैः–

1. **जन चेतना** :– इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थायें एवं राजकीय विभागों द्वारा आपसी सहयोग एवं समन्वय से शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाकर शहरों के सौन्दर्यकरण, सफाई व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार एवं टीकाकरण के बारे में जन समुदाय में जन चेतना जागृत की जाकर उनकी सहभागिता प्राप्त की जाती है।
2. **विकास कार्य** :– योजना के इस भाग में राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढॉचा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास कार्य यथा राजकीय विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ चिकित्सालयों/ पशु चिकित्सालयों/ कार्यालयों के लिए भवन व सुविधाओ हेतु समस्त स्थाई निर्माण, छात्रों हेतु शैक्षिक/सहशैक्षिक व खेल–कूद सामग्री, चिकित्सालयों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प व अन्य पेयजल व्यवस्था तथा जल संग्रहण से जुड़े कार्य, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण, नगर पालिका सीमा में सड़क, उद्यानों, चौराहों इत्यादि का सौन्दर्यकरण कार्य कराये जाते है।

अन्य किसी योजना में अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करवाने (मरम्मत, रंगाई, पुताई नहीं) हेतु शेष कार्य का सक्षम अभियंता स्तर से विस्तृत तकमीना बनाया जाकर कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय व्यवस्था :

योजनान्तर्गत कार्य की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में, 30 प्रतिशत जनसहयोग एवं 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकाय, यूआईटी या पेरास्टेटल विभाग का अंशदान होता है, किन्तु इसमें एम.पी. या एम.एल.ए. फण्ड की राशि शामिल नहीं की जा सकती है। शमशान घाट व कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल निर्माण में 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से तथा शेष 90 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

इस योजना अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक कुल राशि रू. 19738.88 लाख के 1175 कार्य स्वीकृत हो जा चुके है, जिसमें राज्यांश की राशि रू. 9168.86 लाख हैं।

(7) बालिका समृद्धि योजना

यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है तथा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा किया जा रहा हैं। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मे 15 अगस्त, 1997 या इसके बाद जन्म लेने वाली बालिका को 500 रू. की अनुदान राशि बालिका एवं राज्य सरकार द्वारा पदनामित अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी) के संयुक्त नाम से समीप के डाकघर अथवा बैंक में खाता खुलवा कर ब्याजधारी खाते में जमा कराये जाने का प्रावधान हैं। बाद में पात्र बालिका के स्कूल में प्रवेश पर वह कक्षानुसार वार्षिक छात्रवृति प्राप्त करने की हकदार होगी। 18 वर्ष की आयु से पूर्व उसके विवाह होने पर अथवा बालिका की मृत्यु होने पर कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सी बालिका के नाम से जमा राशि आहरण कर स्कीम के तहत अन्य पात्र बालिकाओं को दे सकेगी तथा बालिका की आयु 18 वर्ष होने व अविवाहित होने पर समस्त राशि मय ब्याज बालिका को उपलब्ध कराई जाती है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 तक 1270 बालिकाओं को, वर्ष 2006–07 में 1048, 2007–08 में 612, 2008–09 में 420, 2009–10 में 134 एवं वर्ष 2010–11 में 620 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 12 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

(8) चुंगी पुनर्भरण हेतु अनुदान

राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त, 1998 से चुंगी समाप्ति के बाद नगर निकायों को चुंगी पुनर्भरण अनुदान देना आरंभ किया गया। चुंगी के एवज में नगरीय निकायों को वर्ष 1997–98 की चुंगी से प्राप्त होने वाली आय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए

अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई लेकिन वर्ष 2001–02 से यह वृद्धि 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई एवं वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही नगर पालिकाओं को चुंगी पुनर्भरण अनुदान स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा 2004–05 से गत वर्ष की देय राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए यह अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में नगर निकायो को अब तक 79699.14 लाख रूपये उपलब्ध कराये जा चुके है। वर्ष 2011–12 में गत वर्ष की आवंटित राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 87781.55 लाख रू. का बजट प्रावधान रखा गया है, इस मद की आवंटित राशि नगरीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य मदों पर व्यय की जानी है।

(9) जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)

राज्य मे इस मिशन के अन्तर्गत जयपुर व अजमेर–पुष्कर दो शहरों का चयन किया गया है। मिशन की अवधि 7 वर्ष (2005–06 से) मार्च 2012 तक रखी गई है। योजनान्तर्गत विभिन्न राज्यों के 63 बडें शहरों को 2001 की जनसंख्या व पर्यटन महत्व के कुछ विशेष शहरों को चयनित किया गया है।

वित्तीय सहायता

इस मिशन अन्तर्गत राज्य के दोनो शहरों को केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल का अंशदान निम्न प्रकार है :–

घटक/ विवरण		जयपुर	अजमेर–पुष्कर
शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेस	केन्द्रीय सहायता	50 प्रतिशत	80 प्रतिशत
	राज्यांश	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
	नगर निकाय अंश	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत
शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाये	केन्द्रीय सहायता	50 प्रतिशत	80 प्रतिशत
	राज्य/नगर निकाय/लाभान्वित का अंश सहित	50 प्रतिशत	20 प्रतिशत

राज्य स्तरीय कार्यकारी एजेन्सी

इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

इस मिशन अन्तर्गत दो उप घटक है :–

(अ) शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेस, (ब) शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं

(अ) शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेंस (UIG)

इसके तहत पुराने शहरों का नवीनीकरण, सडको को चौडा करना, आद्यौगिक–व्यवसायिक इकाईयों को अधिक घनत्व वाले स्थान से दूसरी जगह स्थापित करना, पुराने पाईप लाईन, सीवरेज, ड्रेनेज का नवीनीकरण, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, सडक,

हाइवें, एक्सप्रेस वे, पार्किंग हैरिटेज स्थानों का विकास, पानी के स्त्रोतों (Water Bodies) का संरक्षण आदि कार्य कराये जाते है।

प्रगति

भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन के यूआईजी घटक के अन्तर्गत निम्नांकित परियोजनाओं को स्वीकृत किया हैं, जिसकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

1. 75.19 करोड रू. बीआरटीसएस–फेज प्रथम, पैकेज प्रथम जयपुर
2. 144.00 करोड रू. बीआरटीसएस– फेज प्रथम, पैकेज द्वितीय जयपुर
3. 260.36 करोड रू. बीआरटीसएस–फेज प्रथम, पैकेज तृतीय–ए व तृतीय–बी जयपुर
4. अरबन रिन्यूअल ऑफ चौकडी सरहद जयपुर 11.60 करोड रू.,
5. चारदीवारी का पुनरूद्धार फेज प्रथम जयपुर 27.61 करोड रू.,
6. ठोस कचरा प्रबन्धन जयपुर 13.20 करोड रू.,
7. जयपुर शहर की सीवरेज योजना फेज प्रथम 74.96 करोड रू.,
8. जयपुर शहर की सीवरेज योजना फेज द्वितीय 110.86 करोड रू.,
9. पन्ना मीणा बावडी के संचालन एवं संरक्षण पर 4.31 करोड रू.,
10. अजमेर–पुष्कर बीसलपुर जलापूर्ति एवं ट्रांसमिशन पर 188.73 करोड रू.,
11. अजमेर–पुष्कर जलापूर्ति हस्तान्तरण एवं वितरण पर 166.42 करोड रू.
12. दरगाह क्षेत्र का पुनरूद्धार 38.42 करोड रू.,
13. अजमेर–पुष्कर की सीवरेज योजना 112.08 करोड रू.,

इस प्रकार अब तक कुल 13 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 1227.74 करोड स्वीकृत किये गये है, जिसमें रू. 765.59 करोड़ भारत सरकार, रू. 194.97 करोड़ राज्य सरकार तथा शेष नगर निकायों व लाभार्थियों की हिस्सा राशि है। जिसमें से (दिसम्बर, 2011 तक) 710.28 करोड रू. कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तांतरित किये जा चुके है, जिसके विरूद्व रू. 739.00 करोड़ व्यय हो चुके है।

(ब) शहरी गरीबों को मूलभूत सेवायें (BSUP)

भारत सरकार द्वारा राज्य में जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी घटक अन्तर्गत चार परियोजनायें स्वीकृत की गयी है जिनकी परियोजना वार प्रगति निम्नानुसार हैः–

1. अजमेर–पुष्कर के शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवायें 107.70 करोड रू.
2. जयपुर शहर के संजय नगर भट्टा बस्ती के पुर्ननिर्माण हेतु 235.34 करोड रू., यह कार्य दिनांक 12.09.2011 को CSMC द्वारा ड्रॉप (De-sanctioned) कर दिया गया है।
3. जयपुर शहर में 17 स्लमस के रिलोकेशन का कार्य –94.00 करोड़ रूपये
4. जयपुर शहर में 14 स्लमस के रिलोकेशन का कार्य –87.50 करोड रूपये

उपरोक्त घटक मे कुल 524.55 करोड रू. स्वीकृत गये है, जिनके विरूद्व कार्यकारी एजेन्सियों को रू. 92.88 करोड़ हस्तांतरित किये जा चुके है। जिनमें से संजय नगर

भट्टा बस्ती के पुनर्निर्माण सम्बंधी रू. 235.34 करोड़ रू. का कार्य दिनांक 12.09.2011 को CSMC (MoHUPA) की बैठक में ड्रॉप कर दिया गया है। इस कार्य पर माह अक्टूबर, 2011 तक कुल रू. 7.57 करोड़ व्यय हो चुके थे। इस राशि को सम्मिलित करते हुए माह दिसम्बर, 2011 तक इस घटक पर कुल रू. 33.52 करोड़ व्यय हो चुके है।

(10) लधु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढ़ांचा विकास योजना (UIDSSMT)

यह योजना पूर्व सचांलित लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास योजना (IDSMT) तथा शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (AUWSP) को समाहित कर बनायी गई है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित किये गये दो शहरों जयपुर व अजमेर–पुष्कर के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी शहरों मे लागू होगी।

योजना के उद्देश्य, समयावधि एवं विस्तार क्षेत्र

शहरी आधारभूत ढ़ांचे में सुधार कर शहरी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना तथा लोक सम्पत्ति को अर्जित करने में मदद करना, शहरी आधारभूत ढ़ांचे के विकास में लोक–निजी सहभागिता को बढ़ाना एवं शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देना। इसकी समयावधि वर्ष 2005–06 से अगले 7 साल की अर्थात मार्च 2012 तक होगी।

स्वीकृत घटक एवं सहायता व अनुदान

1. शहर पुर्ननवीकरण, सड़कों–गलियों का चौडीकरण, व्यवसायिक–औद्योगिक इकाईयों का शहर के बाहर स्थानान्तरण, पुराने पाइप लाइन को बदल कर नयी क्षमतावान पाइप लाइनों को डालना, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबन्धन आदि।
2. पानी की व्यवस्था।
3. गंदे पानी के निकास की व्यवस्था।
4. नालियो का निर्माण तथा सुधार, बरसाती नालियों का निर्माण तथा सुधार।
5. सड़क, हाइवे एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा सुधार।
6. पार्किंग व्यवस्था लोक निजी भागीदारी के आधार पर।
7. हैरिटेज क्षेत्रों का विकास।
8. भूमि संक्षरण/ मिट्टी कटाव की रोकथाम।
9. जलाशयों का संरक्षण।

इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता, 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि नोडल संस्था/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा देय होती है।

इस योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUIFDCO) को बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो की समीक्षा एवं नये कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) का गठन शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में किया गया है।

योजना की प्रगति

लघु एवं मध्यम श्रेणी के कस्बों का आधारभूत विकास (UIDSSMT) के अन्तर्गत 35 शहरों की 37 परियोजनाओं की कुल राशि रूपये 609.93 करोड की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है, तथा भारत सरकार से अब तक 284.22 करोड रूपये प्राप्त हो चुके हैं। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी रूफडिको को राज्यांश सहित 424.18 करोड रू. हस्तांतरित किये जा चुके है जिसमें से माह दिसम्बर, 2011 तक रू. 308.12 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

(11) एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

पूर्व मे चल रही वाल्मिकि अम्बेडकर आवास योजना एवं राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम को समाहित कर यह नई योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत जवाहरलाल नेहरू मिशन में चयनित दो शहरों (जयपुर व अजमेर–पुष्कर) के अतिरिक्त राज्य के सभी शहरों की गन्दी बस्तियों मे आवास निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाकर शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त कराया जावेगा।

योजनान्तर्गत नियमित/नियमन योग्य गन्दी बस्तियों मे आवास निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्य करवाये जाकर शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त कराया जावेगा। इस योजना के अर्न्तगत नियमित एवं सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में उन कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता पर चयन किया जायेगा जहॉ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी हो। आवास विहीन स्लम निवासियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराये जायेंगे एवं यह ध्यान रखा जायेगा कि न्यून्तम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पूर्ण आवास ईकाई (Complete Dwelling Unit) का निर्माण किया जाये। अपूर्ण आवासीय ईकाइयों को अपग्रेड करने की भी व्यवस्था इस योजनान्र्तगत है।

इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 80 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, 20 प्रतिशत राज्य/निकाय /पैरा स्टेटल/लाभार्थी के अंशदान सहित का प्रावधान है। आवासीय इकाई की लागत एक लाख रुपये है, जिसमें से सामान्य लाभार्थी को 12 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/विकलांग को 10 प्रतिशत वहन करनी होगी।

इस योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी आरयूआईएफडीसीओ है। कार्यों की स्वीकृति एवं समीक्षा हेतु शासन सचिव, स्वायत्त शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

प्रगति :–

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 3 परियोजनायें– गुलाबपुरा, बीकानेर एवं टोंक शहरों की 9.03 करोड़ रूपये की एवं वर्ष 2006–07 के अन्तर्गत 17 परियाजनायें यथाः चित्तौडगढ, पाली, रानी, सादड़ी, सोजतसिटी, बाली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, फालना, बारां, छबड़ा, सीकर, आसीन्द, कोटा, झालरापाटन, झालावाड़, भवानीमण्ड़ी आदि शहरों की 140.06 करोड़ रूपये की तथा वर्ष 2007–08 में 10 परियेाजनायें यथाः उदयपुर,

प्रतापगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर–फेज प्रथम, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, अलवर एवं जोधपुर–फेज द्वितीय आदि शहरों की 186.36 करोड़ रूपये की स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2008–09 में 4 परियेाजनायें यथा जैतारण, बीकानेर फेज द्वितीय, जालौर एवं सूरतगढ शहरों की 83.40 करोड़ रूपये की स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2009–10 में 5 परियेाजनायें यथा तख्तगढ, पोकरण, फलौदी, भीनमाल एवं सांचौर शहरों की 81.85 करोड़ रूपये, वर्ष 2010–11 में 18 परियोजनाऐं – अनूपगढ, बांसवाडा, भादरा, बिलाड़ा चित्तौडगढ–फेज द्वितीय, छोटी सादडी, जैसलमेर–फेज द्वितीय, कैथून, केकडी, कोटा–फेज द्वितीय, निम्बाहेडा, पीलीबंगा, पिण्डवाडा, रावतसर, रावतभाटा, सांगौद, सुमेरपुर एवं टोंक–फेज द्वितीय शहरो में 304.28 करोड की स्वीकृत की चुकी हैं। जिनमें से अलवर एवं झालवाड शहर की परियोजनाऐं निरस्त करने के उपरान्त अब तक (दिसम्बर, 2011 तक) कुल 49 शहरों की 780.66 करोड़ रूपये की 55 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिनके विरूद्व राज्यांश सहित कुल 360. 08 करोड़ रूपये सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सियों को आवंटित किये जा चुके है, जिसमें से रू. 199.36 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

(12) राजीव आवास योजना

भारत सरकार द्वारा देश के सभी शहरों को कच्ची बस्ती रहित करने हेतु ''राजीव आवास योजना'' प्रारम्भ की जा रही है। जिसके तहत राज्य के समस्त शहरों/कस्बों को सम्मिलित किया जाना है। राज्य में 15 अगस्त, 2009 तक बसी समस्त कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण कर, योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह सर्वेक्षण कार्य 1 लाख से अधिक की आबादी वाले 18 शहरों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, टोंक, चुरू, झालावाड़, ब्यावर, किशनगढ, एवं सीकर) में मैसर्स सृष्टि संस्था से करवाया जा रहा है तथा शेष सभी छोटे शहरों में स्वयं नगर निकायों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार 172 शहरों/कस्बों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 12 शहरों में यह शीध्र पूर्ण किए जाने की सम्भावना है कुल 184 में से 52 शहरों में कोई कच्ची बस्ती नही पाई गई है।

राज्य के 6 बड़े शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानरे, कोटा व (अजमेर–पुष्कर) को योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में सम्मिलित कर, प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा रू 562.30 लाख स्वीकृत कर, उसकी प्रथम किश्त (50%) रूपये 281.15 लाख राज्य को जारी की जा चुकी है। शेष राशि प्राप्ति हेतु संशोधित प्रस्ताव रूपये 3578.00 लाख के भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है। इसके अतिरिक्त शेष 12 बड़े शहरों की राशि हेतु प्रस्ताव रूपये 1855.00 लाख के भी भारत सरकार को भिजवाये गये है। प्रथम चरण में 6 शहरों के साथ ही अलवर व भरतपुर को भी सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को निवेदन किया गया है।

राज्य में योजना वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ होने की सम्भावना है तथा इससे पूर्व जयपुर व कोटा शहरों के पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है।

(13) राजस्थान शहरी विकास कोष (राजस्थान अरबन डवलपमेन्ट फण्ड)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 190 के अनुसरण में राजस्थान शहरी विकास कोष (राजस्थान अरबन डवलपमेन्ट फण्ड) राज्य सरकार द्वारा नगर निकायो को वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस कोष से ऋण/अनुदान के वितरण का उद्देश्य परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है।

राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपममेन्ट कार्पोरेशन (आरयूआईएफडीसीओ) उक्त कोष के प्रबन्ध के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। कोष प्रारंभिक राशि रूपये 400.00 करोड़ के साथ स्थापित किया गया है जिसमें रूपये 150.00 करोड राजस्थान सरकार द्वारा तथा रूपये 250.00 करोड शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थाओं /बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाने है। अब इस फण्ड का आकार बढ़ाकर रू. 1000 करोड़ कर दिया गया है जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि रू. 375 करोड़ व शेष रूपये 625 करोड अन्य की हिस्सा राशि है।

इस कोष के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में राजस्थान सरकार से राशि रूपये 25 करोड़ तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंशदान के रूप में राशि रूपये 25.13 करोड़ प्राप्त हुये। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 में राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) से क्रमशः राशि रूपये 50 करोड व 45 करोड़ प्राप्त हुए एवं शहरी स्थानीय निकायो के अंशदान के रूप में क्रमशः रू. 16.24 करोड़ व 14.20 करोड़ प्राप्त हुए है। हुडको व राष्ट्रीय आवास बैंक से क्रमशः 25 करोड़ व 50 करोड़ के ऋण प्राप्त किये जा चुके है। इस प्रकार इस फण्ड में अब तक रू. 250.57 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए प्रस्ताव विभिन्न बैंको से मॉगने के उपरान्त हुडको से इन्फ्राइस्ट्रक्चर योजना के लिए एवं राष्ट्रीय आवासीय बैंक से आवासीय योजनाओं के लिए ऋण अनुबन्ध किया जा चुका है। उपलब्ध राशि में विभिन्न नगर निकायो को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं में शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सा राशि की पूर्ति करने के लिए राशि रूपये 198.62 करोड का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जयपुर सिटी अरबन ट्रान्सपोर्ट फण्ड के लिए जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. को राशि रूपये 10.00 करोड का अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है। इस तरह कुल राशि रूपये 208.62 करोड का वितरण किया जा चुका है।

(5) अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियां

(1) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सम्भागीय मुख्यालयों पर नगर निकायों के आयोजित कैम्प

माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य के सम्भागीय मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों पर नगरपालिका/परिषद/पालिकाओं के महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीयों की बैठक कर मौके पर ही विचार निमर्श द्वारा समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ

की गई है। इन बैठकों में प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक सहित विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में होने वाली उक्त बैठकों में मौके पर ही राजस्थान नगर पाालिका अधिनियम, 2009 के साथ ही नवीनतम विभागीय आदेशों/निर्देशों की जानकारी प्रदान की जाती है तथा नगरीय निकायों को आर्थिक रुप से सुदृढ करने के उपाय अपनाने पर जोर दिया जाता है, ताकि निकायें स्वयं आर्थिक रुप से सशक्त हो सके। इसके अतिरिक्त संबन्धित सम्भागीय/जिला मुख्यालयों के शहरों का भ्रमण माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय अधिकारीयों के साथ किया जाता है एवं मौके पर ही अवैध निर्माण एव अतिक्रमण बाबत निर्देश प्रदान किये जाते है व शहरों के सौन्दर्यकरण की योजनाओं को कार्यरुप देने के निर्देश प्रदान किये जाते है।

(2) पिछडे क्षेत्रों हेतु अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

भारत सरकार की योजना बीआरजीएफ के अन्तर्गत 13 जिलों क्रमशः टोंक, करोली, सवाईमाधोपुर, बाडमेर, जैसलमेंर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, डूंगरपुर झालावाड़ एवं प्रतापगढ का चयन किया गया । यह योजना चयनित जिलों में 6 वर्षों तक लागू रहेगी।

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा क्षमता निर्माण (Capacity Building) एवं विकास कोष हेतु शत प्रतिशत राशि प्राप्त होगी। क्षमता निर्माण में मूलतः नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी, लेखांकन जवाबदेही तथा पारदर्शिता के अनुसार सुधार की क्षमता जुटाना आदि प्रमुख है। अनुबन्ध व आऊटसोर्सिंग के जरिये बाहर से कार्य करवाने का भी इसमें प्रावधान रखा हुआ है।

निर्बन्ध अनुदान (Untied Grant) का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों के रूप में चयनित जिलों में इन्फ्रास्ट्रेक्चर का विकास एवं आधारभूत सरंचना में Critical Gap को भरने हेतु किया जा रहा हैं।

निर्बन्ध अनुदान कार्यक्रम वर्ष 2006–07 में 11 जिलों की 40 निकायों में लागू किया गया था, झालावाड़ जिले को सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि इस जिले में राष्ट्रीय समविकास योजना चालू थी।

बी.आर.जी.एफ. के 13 जिलों में आने वाली 45 निकाय क्रमशः टोक, देवली, निवाई, मालपुरा, टोडारायसिंह, उनियारा, करोली, हिण्डोन सिटी, टोडाभीम, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बाडमेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोकरण, जालौर, भीनमान, सांचौर, सिरोही, आबूरोड, आबू पर्वत, शिवगंज, पिण्डवाडा, उदयपुर, फतेहनगर, सलूबर, भीण्डर, कानोड, बांसवाडा, कुशलगढ, चितौडगढ़, प्रतापगढ, निम्बाहेडा, छोटी सादडी, बडी सादडी, कपासन, बेगु, रावतभाटा, डूंगरपुर, सागवाडा, झालावाड, भवानीमण्डी, झालरापाटन, पिडावा एवं अकलेरा है।

वर्ष 2006–07 के पेटे भारत सरकार से प्राप्त राशि मे से पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्बन्ध अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में कराये जाने वाले 310 स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2007–08 में 1025.09 लाख रू उक्त 11 जिलों की 40 नगर निकायों को उपलब्ध कराये गये

जिसका शत प्रतिशत उपयोग किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवा दिये गये हैं। वर्ष 2007–08 में निर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2008–09 में 3088.08 लाख रू0 12 जिलों की 45 नगर निकायों को उपलब्ध कराये गये थे। जिसके विरुद्व अप्रेल 2010 तक रु. 3040.29 लाख व्यय हुआ वर्ष 2008–09 के पेटे वर्ष 2009–10 में 2165.72 लाख रू0 भारत सरकार से प्राप्त हुये जिसके विरुद्व अप्रेल 2010 तक रु. 1513.78 लाख व्यय हुआ तथा वर्ष 2009–10 के पेटे वर्ष 2010–11 में 2118.53 लाख रू0 भारत सरकार से प्राप्त हुये व पिछले वर्ष की बकाया शेष राशि मिलाकर कुल राशि कि विरुद्व अप्रेल 2010 तक रु. 2079.73 लाख व्यय हुआ। वार्षिक योजना 2011–12 के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है।

विभाग द्वारा सभी निकायों को शीघ्र कार्य पूर्ण कर व्यय राशि के उयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विभागो को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका हैं।

(3) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम–1998 एवं 2000

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु 9 शहरों जयपुर (दूसरा संयंत्र), जोधपुर, अजमेर, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, बीकानेर व अलवर में केन्द्रीय पर्यावरण नियन्त्रण मण्डल द्वारा तय निर्देशों के अनुरूप कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

राज्य में जयपुर में एक CBWTF संयंत्र पूर्व से ही मैं. इन्स्ट्रोमेडिक्स प्रा.लि. द्वारा संचालित है। उदयपुर में आर.एन.टी. मेडीकल कॉलेज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अलवर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, तथा जयपुर (अतिरिक्त) में प्लांट लग चुके है व कार्य शुरू हो चुका है। सीकर में मैसर्स राजपूताना बायोटेक कम्पनी द्वारा स्वयं की भूमि पर प्लांट स्थापित कर संयंत्र शुरु करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राज्य के सभी जिलों को इस योजना में सम्मिलित करने के लिये दो स्थान यथा–उदयपुर (दूसरा संयत्र) तथा जालौर में स्थापित किये जाने हेतु संबंधित निकायों को फर्म से अनुबंध कर कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। संयत्र स्थापना की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) वर्षा जल पुर्नभरण संरचना का निर्माण (Roof Top Rain Water Harvesting Structure):

भूजल अत्यन्त सीमित मात्रा में है। वर्षा की कमी, आबादी के बढते दबाव एवं भूजल के अन्धाधुन्ध दोहन से भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। परम्परागत जल संचय एवं जल संग्रहण के स्रोतों की ओर उचित ध्यान नहीं दिये जाने से राज्य को पानी की अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के पानी के बिना उपयोग बहकर चले जाने के कारण न तो भूजल पर जल का संग्रहण हो रहा है। और न ही भूजल स्तर का पुनर्भरण हो पाता है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। भूजल स्तर को ऊपर उठाने एवं वर्षा के जल का सुरक्षित रूप से भूजल पुनर्भरण कर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में जन जागृति उत्पन्न कर वर्षा जल

पुनर्भरण संरचनाओं का अधिकाधिक निर्माण करवाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

शहरी क्षेत्रों में स्थित 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड में निर्मित/नवीन निर्माण किये जाने वाले भवनों में 'छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना' (Roof top Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का भवन मालिक द्वारा निर्माण करवाने हेतु अनिवार्य प्रावधान किया गया है। नवीन भवनों में उक्त प्रणाली का निर्माण करवाने के उपरान्त ही पानी व बिजली कनेक्शन हेतु नगर निकायों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है।

300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों का वर्षा जल सीवर लाईन में नहीं डालकर नाला–नाली में बहाने व वर्षा जल एवं सड़कों , चौराहों व फुटपाथ क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण/पुनर्भरण हेतु क्षेत्र के किसी निचले इलाकों में स्थित खाली स्थान पर Storm Rain Water Harvesting Structure का निर्माण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्ष 2010–11 में सभी नगर निकायों को भवनों व खुले स्थानों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना हेतु दिये गये लक्ष्यों के विरूद्व की गई प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय	नगर निकाय द्वारा भवनो में निर्मित वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.		खुले स्थानों पर निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Storm Rain Water Harvesting Structure) की सं.		निजी भवन मालिकों द्वारा निर्मित वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.	
		लक्ष्य	भौतिक प्रगति	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति	
						लक्ष्य	भौतिक
1	जयपुर	335	61	63	9	116	248
2	जोधपुर	144	63	36	9	1143	1311
3	कोटा	84	53	38	0	–	143
4	बीकानेर	190	25	33	10	–	277
5	अजमेर	159	0	31	0	–	535
6	उदयपुर	125	24	25	3	–	221
योग		1037	226	226	31	1259	2753

वर्ष 2011–12 में सभी नगर निकायों को भवनों व खुले स्थानों पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना (Rain Water Harvesting Structure) हेतु निम्नानुसार लक्ष्य दिये गये है :–

क्र. स.	**नाम स्थानीय निकाय**	नगर निकाय द्वारा भवनों में निर्मित वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.	खुले स्थानों पर निर्मित की जाने वाली वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Storm Rain Water Harvesting Structure) की सं.	निजी भवन मालिकों द्वारा निर्मित वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली (Roof Top Rain Water Harvesting Structure) की सं.
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य का निर्धारण नगर निकायों द्वारा किया जायेगा
1	नगर निगम, जयपुर	50	10	
2	नगर निगम (अन्य प्रत्येक)	30	5	

3	नगर परिषद (प्रत्येक)	20	3	
4	नगर पालिका जिला मुख्यालय (प्रत्येक)	10	2	
5	नगर पालिका (अन्य)	5	1	
कुल योग		**1285**	**252**	

(5) आश्रय विहीन (Homeless People) लोगों के लिये आश्रय स्थल (रैन बसेरा) Shelters का निर्माण व संचालन :

राज्य के शहरी क्षेत्रो में आश्रय विहीन व्यक्तियों (Homeless People) को आश्रय स्थल (Shelters) उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा–निर्देशिका जारी कर ऐसे लोगों को स्थायी/अस्थाई आश्रय स्थल उपलब्ध करवाकर उसमें निःशुल्क स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, महिला व पुरूषों को अलग–अलग शौचालय एवं स्नानागार व शयन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, रियायती दर पर/निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निजी वस्तुओं की सुरक्षा हेतु लॉकर रूम आदि की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि कोई भी आश्रयविहीन बेसहारा व्यक्ति अत्यधिक ठण्ड, गर्मी या बरसात से प्रभावित नहीं हो एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में केवल वर्षा के दौरान ही आश्रय स्थल बनाये जाते थे, जबकि वर्तमान में यह आश्रय स्थल वर्षभर उपलब्ध कराये जाते हैं।

वर्ष 2011–12 में राज्य की 184 नगर निकायों में 283 रैन बसेरे/आश्रय स्थल (सर्दी में) लगाये गये, जिनमें से 182 रैन बसेरे पक्के भवन में संचालित हैं, जिनमें उपरोक्त समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करवाई गई है। शेष स्थानों पर अस्थाई वाटर प्रूफ टेण्टो में रैन बसेरो का निमार्ण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में 17 शहरों में 50 स्थायी नवीन आश्रय स्थलों के निर्माण करवाने हेतु राशि रूपये 10.00 करोड में से राशि रूपये 5.00 करोड का आवंटन नगर निकायों को किया जा चुका है। आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(6) एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन (ISWM) योजना :

नगरीय ठोस अपशिष्ठों का समन्वित रूप से प्रबंधन एवं निस्तारण स्थानीय निकायों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायानय द्वारा अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में पारित निर्देशों के क्रम में नगरीय ठोस कचरा (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा प्रतिदिन सडकों/नालियों की सफाई, घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

प्रथम चरण में राज्य के प्रमुख शहरों – जयपुर , जोधपुर, कोटा, अजमेर (पुष्कर, किशनगढ), बीकानेर व उदयपुर में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन कार्य DBOOT के आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP Model) पर करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जयपुर एवं जोधपुर शहरों में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन कार्य हेतु प्राईवेट फर्मो से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मो से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फर्मो द्वारा घर–घर कचरा संग्रहण, सडक व नाली की सफाई, कचरे का परिवहन व प्रसंस्करण एवं कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया

जावेगा। जिसके अन्तर्गत कचरे से खाद एवं बिजली बनाई जा सकती है। उक्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं शेष शहरों के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन कार्य DBOOT के आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP Model) पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

(7) राज्य के 24 शहरों के सिटी सेनीटेशन प्लान (CSP) तैयार करना :

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अन्तर्गत 24 शहरों के सिटी सेनीटेशन प्लान तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि 247.50 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

राजस्थान के 24 शहरों – अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, हनुमानगढ, झूंझूंनू, किशनगढ, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, चित्तौडगढ, चुरू, फतेहपुर–शेखावाटी, जैसलमेर, नाथद्वारा एवं मण्डावा शहरों के सिटी सेनीटेशन प्लान तैयार करने हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई राशि रूपये 247.50 लाख में प्रथम किश्त के रूप में स्वायत्त शासन विभाग को राशि रूपये 74.25 आवंटित की गई है।

सिटी सेनीटेशन प्लान हेतु प्रोजेक्ट तैयार के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेन्टर फॉर अरबन एण्ड एन्वायरन्मेंटल स्टेडीज, मुम्बई को कन्सल्टिंग पार्टनर नियुक्त किया गया है।

(8) मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) योजना

उत्तम प्रबन्धन एवं नगर निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रशिक्षण की एक वृहद योजना तैयार की गई थी, जिसके अन्तर्गत लगभग 5000 जन प्रतिनिधियों एवं 1000 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना था।

अब तक राज्य के समस्त 33 जिलों जिला स्तरपर प्रशिक्षण आयेाजित कर 4811 जन प्रतिनिधियों एवं 1028 अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(9) राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कारपॉरेशन (RUIFDCO)

राज्य की अधिकांश नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनके संसाधन सीमित हैं और वे अपने स्वयं के स्तर से परियोजना तैयार करने, वित्तीय साधन जुटाने एवं उनका क्रियान्वयन करने में असमर्थ हैं । अतः शहरी निकायों को आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने एवं वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कारपॉरेशन के गठन की घोषणा की गई थी, जिसकी पालना में इस कॉरपोरेशन का विधिवत शुभारम्भ 8 दिसम्बर, 2004 को किया जा चुका है। इस निगम की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 1000.00 लाख है। आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ. द्वारा वर्तमान में जे.एन.एन.यू.आर.एम. व यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., आई.एच.एस.डी.पी., एन.आर.सी.पी. व आर.ए.वाई. आदि योजनाओं के राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का कार्य किया जा रहा हैं साथ ही आर.यू.डी.एफ. व शहरी क्षेत्रों में ई–गवर्नेन्स के लिये नोडल एजेन्सी का कार्य भी किया जा रहा हैं।

(10) अक्षय कलेवा योजना

राज्य के शहरी निकायों के सभी निर्धन एवं जरूरत मन्द व्यक्तियों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुरूप प्रथम चरण में राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर ''भूख मुक्ति कार्यक्रम'' के तहत न्यूनतम राशि में भोजन उपलब्ध कराने हेतु ''अक्षय कलेवा योजना'' आरम्भ की गई है। उक्त योजनान्तर्गत नगर निकाय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जन सहयोग से निर्धन एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित स्वयं सेवी संस्था को आवश्यकतानुसार अनुदान भी नगरीय निकाय द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्वीकृति नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 101(ग) के तहत राज्य सरकार से प्राप्त की जाती है

द्वितीय चरण में जिला मुख्यालय स्थित निकायों के अतिरिक्त निकायों में इसे लागू करने एवं जिला मुख्यालय निकायों में लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि करने की कार्यवाही जारी है। वर्तमान में राज्य के 56 शहरी क्षेत्रों में 88 केन्द्रों पर अक्षय कलेवा योजना को संचालित किया जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन लाभान्वितों की औसत संख्या 11923 है।

(11) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (RUSDIP)

आरयूआईडीपी के प्रथम फेज में राज्य के 6 शहरों (अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर) में नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। इसकी सफलता के मद्देनज़र राज्य सरकार ने 15 शहरों यथा **अलवर, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तोड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़–झालरापाटन, करौली, नागौर, राजसमंद, सवाई माधौपुर और सीकर** में लगभग 1560 करोड़ रूपये की योजना एशियन डवलपमेंट बैंक की ऋण सहायता से बनाई गई थी, जिसको एशियन विकास बैंक द्वारा दिनांक 31.10.2007 को स्वीकृत किया गया। इस परियोजना हेतु 70 प्रतिशत राशि एडीबी से बेक टू बेक आधार पर ऋण सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

तथ्यात्मक विवरण

परियोजना की कुल लागत :

विवरण	स्वीकृत राशि	
	यू.एस.मिलियन डालर	वर्तमान में उपलब्धता (करोड़ रुपये में)
कुल परियोजना राशि	390	1716
ए.डी.बी. से प्राप्त ऋण राशि	273	1201
स्थानीय भागीदारी	117	515

- यह ऋण 'बहुचरणीय ऋण सुविधा' (मल्टीट्रेंच फेसीलिटी) के अन्तर्गत 3 ट्रेन्च में प्राप्त होगा।
- प्रत्येक चरण का ऋण 25 वर्ष की पुनर्भुगतान (पांच वर्ष की छूट अवधि सहित) अवधि का होगा।

- प्रथम ट्रेन्च के लिये दिनांक 17.01.2008 को ऋण अनुबन्ध (Loan Agreement) एवं परियोजना अनुबन्ध (Project Agreement) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। यह ऋण ए.डी.बी. द्वारा 28 फरवरी 2008 से प्रभावी हो गया है। इसकी समाप्ति तिथि 30 जून, 2013 है।
- द्वितीय ट्रेन्च के लिये दिनांक 18.02.2009 को ऋण अनुबन्ध (Loan Agreement) एवं परियोजना अनुबन्ध (Project Agreement) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। यह ऋण ए.डी.बी. द्वारा 20 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हो गया है। इसकी समाप्ति तिथि 30 जून, 2014 है।
- तृतीय ट्रेन्च के लिये राज्य सरकार एवं एशियन विकास बैंक द्वारा अग्रिम अनुबन्ध एवं रेस्ट्रोएक्टिव फाईनेसिंग की स्वीकृति प्रदान की गई है। एशियन विकास बैंक द्वारा दिनांक 17.03.2011 को ऋण स्वीकृति पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।
- ट्रेन्च–1 के लिये 75 मिलियन डॉलर (वर्तमान में लगभग 330 करोड रू.) की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसमें राशि 60 मिलियन डालर (वर्तमान में लगभग 264 करोड रू.) का ए.डी.बी. ऋण है एवं 15 मिलियन डालर (वर्तमान में लगभग 66 करोड रू.) राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- ट्रेन्च–2 के लिये 219 मिलियन डॉलर (लगभग 964 करोड रूपये) की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसमें राशि 150 मिलियन डालर (लगभग 660 करोड रूपये) का ए.डी.बी. ऋण है एवं राशि 69 मिलियन डालर (लगभग 304 करोड रूपये) राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- परियोजना में माह दिसम्बर 2011 तक कुल 524.19 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

(12) आरयूआईडीपी तृतीय चरण

राज्य में एशियन विकास बैंक के ऋण सहयोग से आरयूआईडीपी प्रथम चरण में रू. 1854 करोड की योजना के अन्तर्गत 6 संभागीय शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर तथा अजमेर में आधारभूत विकास के कार्य कराये गये है। राज्य अन्य 15 शहरों यथा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर,सीकर, चुरू, नागौर, जैसलमेर, बाडमेर, चित्तौडगढ़, राजसंमद, बूंदी, बारां एवं झालावाड़–झालरापाटन में लगभग 1716 करोड़ रू के आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण के अन्तर्गत एडीबी के ऋण सहयोग से आधारभूत विकास के कार्य प्रगति पर है। जिन्हें वर्ष 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के तृतीय चरण के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर राज्य के शहरों एवं कस्बों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु रू. 900 करोड़ के स्थान पर रू. 2700 करोड़ के ऋण हेतु एशियन विकास बैंक भारत सरकार को आग्रह किया गया है। इस हेतु ऋण की माडिलिटी बाबत भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2011 को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी किये गये है। दिनांक 30.11.2011 को भारत सरकार के आर्थिक मामलात् विभाग में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आरयूआईडीपी–फेज III पर विचार–विमर्श किया गया, जिसके अनुसार भारत सरकार रू. 1250 करोड़ का ऋण लेने के लिए सहमत प्रदान की है। इस प्रकार परियोजना की

लागत 360 यूएस डालर रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्रों का चयन किया जाना है। दिनांक 21.09.2011 को आयोजित बैठक में जलप्रदाय सीवरेज ठोस कचरा प्रबंधन क्षमता संवर्द्वन एवं वर्षा जल सरंक्षण आदि आधारभूत सरंचना के कार्य सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(13) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP)

देश में झीलों की महत्ता को बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम (एन.एल.सी.पी) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। जिसकी राशि का अनुपात 70 : 30 (70 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा) है। इस योजना का उददेश्य देश में स्थित झीलों का पुनरुद्वार एवं संरक्षण है जो कि मल–जल झीलों में छोडे जाने के कारण खराब हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये पॉच झीलो क्रमशः आनासागर झील (अजमेर), पुष्कर सरोवर (पुष्कर), फतेहसागर झील एवं पिछोला झील (उदयपुर), नक्की झील (माउंट आबू) के पुनरुद्वार एव संरक्षण हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है। जिनमें प्रत्येक झील के लिये डि स्लिटिंग, झील विकास कार्य, सीवरेज, पानी की गुणवत्ता, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधि एवं वनीकरण इत्यादि के कार्य सम्मिलित है। उक्त झीलो के लिये 200.58 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से 143.28 करोड रूपये के कार्य विभिन्न विभागों यूआईटी, वन विभाग, मत्स्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा करवाये जा रहें है। उक्त स्वीकृत योजनाओ पर दिसम्बर 2011 तक केन्द्र सरकार से 46.58 करोड रूपये एव राज्य सरकार से 16.97 करोड रूपये (63.55 करोड रूपये) प्राप्त हुये है जिसमें से 69.88 करोड रूपये दिसम्बर 2011 तक रू. व्यय किये गये है।

अनुमोदित झीलो की राशि एवं कार्यकारी संस्था का विवरण

झील का नाम	स्वीकृत राशि (करोड रूपये में)	स्वीकृति दिनांक	कार्यकारी संस्था
आनासागर झील, अजमेर	18.27	23.11.2007	यूआईटी, अजमेर
पुष्कर सरोवर, पुष्कर	48.37	26.02.2008	यूआईटी, अजमेर
पिछोला झील, उदयपुर	84.75	04.02.2009	यूआईटी, उदयपुर नगर परिषद, उदयपुर
फतेहसागर, उदयपुर	41.86	14.08.2008	यूआईटी, उदयपुर
नक्की झील, माउंट आबू	7.33	24.06.2010	यूआईटी, माउंटआबू

योजना की समयावधि बढाने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है, प्रतिउत्तर अपेक्षित है।

1. आनासागर झील, अजमेर

आना सागर झील, अजमेर की स्वीकृति नवम्बर 2007 में हुयी थी। इसके अन्तर्गत केन्द्र से 5.67 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से 1.15 करोड रूपये प्राप्त हुए है इसके विरूद्ध 5.60 करोड रूपये दिसम्बर 2011 तक खर्च किये जा चुके है।

2. पुष्कर झील, अजमेर

पुष्कर झील, अजमेर की स्वीकृति फरवरी 2008 में हुई थी इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक केन्द्र से 24.10 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से 8.62 करोड रूपये प्राप्त हुए है इसके विरूद्ध 34.51 करोड रूपये का व्यय किया जा चुका है।

3. फतेह सागर झील, उदयपुर

इस झील की स्वीकृति अगस्त 2008 में हुई थी इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक केन्द्र से रूपये 12.33 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से रूपये 3.99 करोड रूपये प्राप्त हो चुके है। इसके विरूद्ध 16.18 करोड रूपये (दिसम्बर 2011 तक) का व्यय किया जा चुका है। इस योजना में अभी तक 20.03 करोड रूपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके है एवं 16.56 करोड रूपये के कार्य अन्य विभागो को आवंटित किये जा चुके है इसके अतिरिक्त 2.57 करोड रूपये की निविदाये आयोजित की जा चुकी है।

4. पिछोला झील, उदयपुर

इस झील की स्वीकृति फरवरी 2009 में हुई थी इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक केन्द्र से 6.20 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से रूपये 2.66 करोड रूपये प्राप्त हो चुके है। इस परियोजना में अभी तक (दिसम्बर 2011 तक) 7.09 करोड रूपये का व्यय हो चुका है। इस योजना में रूपये 24.18 करोड रूपये के कार्यादेश दिये जा चुके है एवं 3.38 करोड रूपये की निविदाये आयोजित की जा चुकी है इसके अतिरिक्त रूपये 33. 58 करोड रूपये के कार्य विभिन्न संस्थाओ को आवंटित किये जा चुके है।

5. नक्की झील, माउण्ट आबू

इस झील की स्वीकृति अगस्त 2010 में हुई है एवं 1.28 करोड रूपये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से रू. 0.55 करोड प्राप्त हुए है। इसमें से 4.82 करोड रूपये के सीवरेज कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में अभी तक (दिसम्बर 2011 तक) 1.94 करोड रूपये का व्यय हो चुका है। इस योजना में सीवरेज के कार्य के साथ साथ राशि रू. 5.79 करोड के कार्यादेश जारी किये गये है। इनका कार्य प्रगति पर है।

(14) निकाय बोर्ड व प्रमुखों को अधिक सशक्त बनाना।

शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगर निकायों को सशक्त बनाने की दृष्टि से नगर निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये गये है। नगर निगमों को 2.00 करोड रूपये, नगर परिषदों को 1.00 करोड रूपये, जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को 50.00 लाख रूपये एवं अन्य नगर पालिकाओं को 10.00 लाख रूपये तक कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये है। नगर निगम के महापौर, नगर परिषद के सभापति, जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं के अध्यक्षों एवं अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को भी क्रमशः 25.00 लाख रूपये, 10.00 लाख रूपये, 5.00 लाख रूपये एवं 1.00 लाख रूपये के वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष को मण्डल/समिति के निर्णय पर असहमति टिप्पणी लगाने की शक्ति दी हुई है।

(15) नगर स्तरीय यातायात कम्पनियों का गठन :

शहरी क्षेत्रों में बस रैपिड़ ट्रांजिट सिस्टम को सुचारू रूप से संचालन के लिए मिशन एवं नोनमिशन शहरों में सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. कम्पनीयों का गठन किया गया है ।

(अ) नॉनमिशन शहर :

शहरी क्षैत्रों में बस रेपिड ट्राजिट सिस्टम को सुचारू रूप से संचालन करने की दृष्टि से निम्न नगर स्तरीय कम्पनियो का गठन किया गया है :–

नगर स्तरीय यातायात कम्पनियों के नाम		विभागीय आदेश/दिनांक
1.	उदयपुर शहर हेतु "उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।	18.12.06
2.	जोधपुर शहर हेतु "जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।	18.12.06
3.	कोटा शहर हेतु "कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।	18.12.06
4.	बीकानेर शहर हेतु '' बीकानेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।	18.03.08

इन कम्पनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन शहरों के मेयर/अध्यक्ष इस कम्पनी के चैयरमेन हैं एवं जिला कलेक्टर, कार्यकारी निदेशक हैं तथा अन्य सदस्यों में संबंधित शहर के अध्यक्ष नगर विकास न्यास्, नगर निकाय एवं नगर सुधार न्यासों के आयुक्त/सचिव, सिनीयर टाऊन प्लानर, जिला/शहर के पुलिस अधीक्षक, स्वयंसेवी संस्थानों/सिविल सोसायटी/ट्रांसपोर्टर आदि के दो प्रतिनिधि सदस्य है।

ये कम्पनियां इण्ड़ियन कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर की गई है। जिसमें नगर पालिका एवं नगर विकास न्यास्/विकास प्राधिकरण की 50–50 प्रतिशत समान भागीदारी है। कम्पनी के 30 लाख रूपये प्रारम्भिक पूंजी (Initial Capital) के रूप में रखे गयें है।

(ब) मिशन शहर :–

जेएनएनयूआरएम के तहत अजमेर एवं जयपुर हेतु दिनांक 23.06.2009 को सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़" कम्पनियों का पुनर्गठन किया गया है। इन नगर स्तरीय यातायात कम्पनियों के नाम निम्नानुसार है :–

1. अजमेर शहर हेतु "अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।
2. जयपुर शहर हेतु "जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़"।

भारत सरकार के नगरीय विकास मत्रांलय के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 72वीं बैठक दिनांक 24.4.2009 को सम्पन्न हुई जिसमें अजमेर व उसके उपनगरीय क्षैत्रों क्रमशः श्रीनगर, पुष्कर, किशनगढ, एवं नसीराबाद में संचालित करने के हेतु 35 स्टेण्र्ड साइज (900एमएम) बसो के क्रय की स्वीकृति "अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान की गई है। उक्त योजना हेतु राशि रूपये 7.45 करोड स्वीकृत किये गये है। उच्च स्तरीय निर्णय के अनुसार इन बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है। एस.सी.टी.एस.एल. के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 24.7.2009 के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 12.8.2009 को निवदा आमत्रित की गई । दिनांक 4.11. 2009 को टाटा मोटर्स को कार्य आदेश दिया गया एवं सहमति पत्र भी लिया गया एस. सी.टी.एस.एल. एवं टाटा मोर्टस के मध्य दिनांक 3.12.09 को 35 बसे क्रय करने हेतु अनुबन्ध किया गया । इस क्रम में टाटा मोर्टस द्वारा 35 बसे अजमेर को हस्तान्तरण की गई इन बसो को वर्तमान में आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा निम्नलिखित मार्गो पर संचालित किया जा रहा है।

1. किशनगढ से पुष्कर
2. किशनगढ से नसीराबाद
3. किशनगढ से मगलियावास
4. पुष्कर से नसीराबाद
5. पुष्कर से श्रीनगर

भारत सरकार से राशि रूपये 3.35 करोड प्रथम किस्त के रूप में दिनांक 03.02.2010 को प्राप्त हुई। द्वितीय चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी की जानी है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त डीपीआर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ, जयपुर द्वारा दिनांक 09.06.2011 को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। दिनांक 05.09.2011 राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा भारत सरकार का पुनः स्मरण पत्र भिजवाया जा चुका है तथा डीपीआर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में विचारणीय है। आरयूडीएफ से राशि रूपये 3.34 करोड का ऋण प्राप्त हुआ है। जो कि द्वितीय किस्त की राशि द्वारा समायोजित किया जायेगा। इस परियोजना में आज दिनांक तक कुल व्यय राशि रूपये 6.90 करोड किया जा चुका है।

<u>जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत जयपुर शहर में 400 नई बसों का संचालन</u>

- केन्द्रीय सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2009 को Second stimulus package के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत नगरीय परिवहन के लिऐ बसों की खरीद मे अनुदान की घोषणा की गई, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा बसों की खरीद पर 50% का अनुदान दिया गया। शेष 20% राज्य सरकार व 30% नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- दिनांक 20.02.2009 को जयपुर शहर के लिये 142 करोड की लागत पर 400 बसों की खरीद की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई।
- जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लि. द्वारा खुली निविदायें आमंत्रित कर अति–आधुनिक 400 बसों के खरीद का कार्य आदेश 16.07.09 को मैसर्स अशोक लिलेण्ड लिमिटेड को दिया गया।
- बसों की सप्लाई जनवरी 2010 से प्रारम्भ हुई तथा दिनांक 31.01.2011 तक 280 बसें प्राप्त हो चुकी है।
- बसों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रथम किश्त रू. 35.7 करोड़ एवं राज्य सरकार के हिस्से के रू. 14.28 करोड़ कुल रू. 49.98 करोड़ फरवरी 2010 में प्राप्त हो चुकी है। द्वितीय किश्त के रूप में कुल 340 बसों के क्रय आदेश के विरूद्ध प्रथम किश्त में प्राप्त राशि का समायोजन करते हुए कुल 90% केन्द्र सरकार की राशि का बकाया 17.08 करोड़ एवं राज्य सरकार के हिस्से की राशि 6.84 करोड़ सम्मलित कर कुल 23.92 करोड़ माह नवम्बर 2011 में प्राप्त हो गए है।
- 20 नॉन एसी मिनी बसें फरवरी 2012 के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

- बसों का संचालन जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा 10 नये ग्रिड पैटर्न पर तैयार किए गए नगरीय मार्गों पर दिनांक 10 जून 2010 से प्रारम्भ किया गया। (7 रेडियल व 3 सर्कुलर)
- उप–नगरीय मार्गों पर बस सेवा दिनांक 01.12.2010 से प्रारम्भ की गई है।
- बसों का संचालन एवं रख–रखाव अनुबंध के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) द्वारा किया जा रहा है।
- इन बसों में इलेक्ट्रोनिक मशीन द्वारा टिकिट वितरण व्यवस्था (RSRTC) द्वारा की गई है।
- बस पर विशिष्ट रंग की पट्टी लगाई गयी है, जिससे बस के रूट को पहचाना जा सकें।
- बस में चार एलईडी पैनल लगे हुए है जिनमें रूट नम्बर, बस रूट व बस स्टॉप की जानकारी दी जा रही है।
- जयपुर शहर में 100 मॉडर्न डिजाइन एवं यात्री सुविधायुक्त बस क्यू शैल्टर का निर्माण करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिए गए है। एक प्रोटो बस क्यू शैल्टर गांधी सर्किल के पास पौद्वार स्कूल बस स्टॉप पर निर्मित किया जा चुका है।
- इन बसों में भारत सरकार द्वारा निर्देशित Common Mobility Card व्यवस्था लागू करने हेतु मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल के साथ अनुबंध कर लिया गया है। ये व्यवस्था जून 2012 तक लागू होने की सम्भावना है, जिसमें यात्री कार्ड के माध्यम से यात्रा कर सकेगा।
- इन बसों की ट्रेकिंग हेतु आई.टी. सिस्टम से सम्बन्धित कार्य भी मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल द्वारा ही किया जायेगा, जिससे की बसों के संचालन पर सीधा नियंत्रण रखा जा सके।
- वर्तमान में लगभग 2.00 लाख यात्री प्रतिदिन इन बसों में यात्रा कर रहे है।
- बसों की संचालन व्यवस्था, रूट डिजाइन, एकवर्ती किराया पद्वति आदि के लिए 5 दिसम्बर 2010 को अरबन मोबिलिटी क्रांन्फ्रेंस मे ंमाननीय जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा JnNURM के अन्तर्गत "Best Emerging Initiative Award" दिया गया है।
- जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि. में निदेशक मण्डल में निदेशक निम्नानुसार नियुक्त किये गये है।

1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग	निदेशक
3.	आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	निदेशक
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर	निदेशक
5.	शासन सचिव वित्त (बजट)	निदेशक
6.	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	प्रबन्ध निदेशक

दिसम्बर, 2012 तक विभाग द्वारा किये गये महत्वपूर्ण संशोधन एवं आदेशों का संक्षिप्त विवरण :

- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दिनांक 15.09.2009 से प्रभावी हो चुका है। जिसके निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रावधान है :–
  - नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाये जाने का प्रावधान पहली बार किया गया है।
  - नगरीय निकायों के अध्यक्ष को पहली बार मण्डल/समिति के किसी निर्णय पर असहमति टिप्पणी लगाने की शक्ति प्रदान की है।
  - नगरीय निकायों को स्वयं के स्तर पर उपविधि बनाने की शक्ति प्रदान की है।
  - नगरीय निकायों में सीएजी द्वारा ऑडिट कराई जाकर, उसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- नगरीय निकायों के प्रमुखों को सशक्तिकृत करने के उददे्श्य से उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी की गयी है। महापौर की वित्तीय शक्तियॉ 25 लाख रू. से बढ़ाकर दिनांक 05.07.2010 से 1 करोड़ रू कर दी गई हैं।
- 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप राजस्थान नगर पलिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2009) तैयार किया जाकर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति पश्चात् राजपत्र प्रकाशन 15.09.2009 को हो चुका हैं। तथा इसको प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भी दिनांक 15.09.2009 को हो चुका हैं।
- राजस्थान नगर पालिका (सम्पत्ति विरूपण) अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इससे अधिनियम के लागू होने से राज्य में सार्वजनिक व निजी सम्पत्तियों के विरूपण को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा।
- राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अधिनियम की धारा 13 एवं 19 में संशोधन द्वारा न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों के अनुभव को कम किया गया हैं, जिससे अधिकरण स्थापित करने में सुविधा होगी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा में पृथक से किराया अधिकरण/किराया अपील अधिकरण का गठन कर लिया गया है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व किराये पर दिये गये परिसर का किराया वृद्धि 7.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया हैं। व्यवसायिक परिसरों की वेदखली की डिक्री 6 माह बाद प्रभावी की जावेगी। अपील की सुनवाई की तिथि 'एक माह के बाद व दो माह से पूर्व' के स्थान पर ''दो माह के बाद व छः माह से पूर्व'' निर्धारित की जावेगी। अपील की अवधि 30 दिन से बढा कर 60 दिन कर दी गई। उक्त संशोधनों से आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
- सभी शहरी निकायों को मॉडल नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र भवन) उप विधि भेज कर उपनियमों को मण्डल में पारित कर लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही नये उप विधि जैसेः सामुदायिक विवाह स्थल उप विधि 2010 का प्रारूप

राज्य सरकार के स्तर से बनाया जा कर इसे सभी शहरी निकायों को भिजवाया दिया गया है।

- राज्य सरकार ने कच्ची बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पूर्व में लागू **कच्ची बस्ती नीति, 2007** में दिनांक 01.04.2004 तक बसी बस्तियों के नियमन का ही प्रावधान था। दिनांक 01.04.2004 के स्थान पर दिनांक 15.08.2009 तक बसी कच्ची बस्तियों के सर्वे का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कच्ची बस्ती में 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का भी नियमन किया जावे, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का सरंक्षण और पथ विक्रय का विनियम) अधिनियम, 2011 लागू किया गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में फुटपाथी, थडी–ठेला व्यवसायी फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे कर उन्हें लाईसेंस देने एवं उनके व्यवसाय हेतु जगह चिन्हित करने की कार्यवाही की जावेगी।
- राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 प्रभावी किये जा चुके है। इन नियमों के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों में भूमि एवं भवन पर कर लगाया है। यह कर गृहकर के स्थान पर लगाया गया है। इस कर में आवासीय में 300 वर्ग गज एवं व्यावसायिक में 100 वर्ग गज छूट प्रदान की गयी हैं। वर्तमान सरकार में 300 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्डों व उन पर निर्मित क्षैत्रों पर बकाया सम्पूर्ण गृहकर व उस पर अभिरोपित ब्याज/पेनल्टी माफ कर दी गयी हैं।
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10(4) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 03.01.2012 द्वारा गृहकर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति दिनांक 31.03.2012 तक गृहकर जमा कराने पर सम्पूर्ण गृहकर (आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों) का एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत छूट तथा शास्ति पर शत प्रतिशत छूट तथा नगरीय विकास कर 2011–12 तक का एक मुश्त जमा कराने पर मूल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत छूट तथा ब्याज व शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
- सभी नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न करवाये जा चुके हैं। माह नवम्बर 2009 में 45 नगर निकायों, अगस्त 2010 में 126, दिसम्बर 2010 में 8 तथा जनवरी 2011 में 3 नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न कराये गये। तत्पश्चात नगर पालिका विद्याविहार का चुनाव सम्पन्न कराया जा चुका है।
- राजस्थान नगर पालिका **Election Petition Rules 2009** बनाये जा कर दिनांक 12 नवम्बर 2009 को जारी कर दिया है।
- नगरीय क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी की 10 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अतिरिक्त राजस्व के रूप में दी जावेगी।
- नगरीय सीमा में समस्त सिवाय चक व नजूल सम्पत्तियों को नगर निकायों को हस्तान्तरित की जावेगी।

राजस्थान के नगर निकायों का सम्भागवार, जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण

क्र. स.	जिला	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अजमेर सम्भाग							
1.	अजमेर	अजमेर	1 ब्यावर 2 किशनगढ़		1. केकडी 2. पुष्कर 3. सरवाड 4. विजयनगर		7
2.	भीलवाडा		1. भीलवाडा		1. शाहपुरा 2. गुलाबपुरा	1. गंगापुर 2. जहाजपुर 3. मांडलगढ 4. आसीन्द	7
3.	नागौर			1. नागौर 2. लाडनूं 3. मेडतासिटी 4. मकराना	1. डीडवाना 2. कुचामनसिटी 3. परबतसर	1. नावां 2. कुचेरा 3. मूण्डवा	10
4.	टोंक		1. टोंक	1. देवली	1. निवाई	1. मालपुरा 2. टोडारायसिंह 3. उनियारा	6
2. बीकानेर सम्भाग							
5.	बीकानेर	बीकानेर			1. नोखा 2. श्री डूंगरगढ	1. देशनोक	4
6.	चूरू		चुरू	1. रतनगढ 2. सुजानगढ 3. सरदारशहर	1. राजगढ	1. छापर 2. बीदासर 3. राजलदेसर 4. रतननगर 5. तारानगर	10
7.	श्रीगंगानगर		1. श्रीगंगानगर	1. रायसिंहनगर	1. अनूपगढ 2. गजसिंहपुर 3. पदमपुर 4. केसरीसिंहपुर 5. सादुलशहर 6. श्रीकरणपुर 7. सूरतगढ 8. श्रीविजयनगर		10
8.	हनुमानगढ		हनुमानगढ		1. नोहर 2. संगरिया 3. भादरा 4. पीलीबंगा	1. रावतसर	6
3. जयपुर सम्भाग							
9.	जयपुर	1. जयपुर			1. चौमूं 2. सांभर 3. चाकसू 4. कोटपूतली	1. जोबनेर 2. फुलेरा 3. विराटनगर 4. शाहपुरा 5. किशनगढरेनवाल 6. बगरू	11
10.	अलवर		1. अलवर	1.भिवाडी	1. खैरथल 2. खेरली 3. राजगढ	1. तिजारा 2. बहरोड	7
11.	दौसा			1. दौसा	1. बांदीकुई	1. लालसोट	3
12.	झुझुंनू		झुझुंनू	1. नवलगढ	1. चिडावा	1. बिसाऊ 2. बग्गड 3. खेतडी 4. मण्डावा 5. मुकुन्दगढ 6. पिलानी 7. सूरजगढ 8. उदयपुरवाटी 9. विद्याविहार	12

13.	सीकर		1. सीकर	1. फतेहपुर	1. लक्ष्मणगढ 2. रामगढशेखावटी 3. श्रीमाधोपुर	1. खण्डेला 2. नीमकाथाना 3. रींगस 4. लोसल	9
4. भरतपुर सम्भाग							
14.	भरतपुर		1. भरतपुर		1. बयाना 2. डीग 3. कामां 4. नदबई	1. वैर 2. कुम्हैर 3. भुसावर 4. नगर	9
15.	धौलपुर			1. धौलपुर	1. बाड़ी	1. राजाखेडा	3
16.	करौली			1. करौली 2. हिंडौनसिटी		1. टोडाभीम	3
17.	स.माधोपुर			1. स.माधोपुर 2. गंगापुरसिटी			2
5. जोधपुर सम्भाग							
18.	जोधपुर	जोधपुर			1. फलोदी 2. पीपाडसिटी 3. बिलाडा		4
19.	बाडमेर			1. बाड़मेर 2. बालोतरा			2
20.	जैसलमेर			1. जैसलमेर		1. पोकरण	2
21.	जालौर			1. जालौर	1. भीनमाल	1. सांचोर	3
22.	पाली		1. पाली	1. सुमेरपुर	1. सोजतसिटी	1. जैतारण 2. बाली 3. तख्तगढ 4. सादडी 5. खुडलाफालना 6. रानीखुर्द	9
23.	सिरोही			1. सिरोही 2. आबूरोड 3. माउंटआबू	1. शिवगज	1. पिण्डवाडा	5
6. उदयपुर सम्भाग							
24.	उदयपुर		1. उदयपुर		1. फतेहनगर	1. सलूम्बर 2. भीण्डर 3. कानोड	5
25.	बांसवाडा			1. बांसवाडा	1. कुशलगढ		2
26.	चित्तौडगढ			1. चित्तौडगढ 2. निम्बाहेडा		1. बडी सादडी 2. कपासन 3. बेगू 4. रावतभाटा	6
27.	डूंगरपुर			1. डूंगरपुर		1. सागवाडा	2
28.	राजसमन्द			1. राजसमंद	1. आमेट 2. नाथद्वारा	1. देवगढ	4
29.	प्रतापगढ़			1. प्रतापगढ	1. छोटा सादडी		2
7. कोटा सम्भाग							
30.	कोटा	कोटा			1. रामगंजमंडी	1. कैथून 2. सांगोद	4
31.	बारां			1. बारां 2. अन्ता		1. छबड़ा 2. मांगरोल	4
32.	बूंदी			1. बूंदी	1. लाखेरी 2. केशवरायपाटन	1. नैनवां 2. कापरेन 3. इन्द्रगढ	6
33.	झालावाड			झालावाड	1. भवानीमंडी 2. झालरापाटन	1. पिडावा 2. अकलेरा	5
	योग	5	13	36	58	72	184

परिशिष्ट –II

वर्ष 2010–2011 में विभाग में स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

क.स.	नाम पद	स्वीकृत पदों की संख्या	
		आयोजना भिन्न	आयोजना
	(अ) राजपत्रित अधिकारी		
1	निदेशक	1	–
2	अतिरिक्त निदेशक	1	–
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)	1	
4	अधीक्षण अभियंता	1	–
5	अधिशाषी अभियन्ता	1	
6	सहायक अभियन्ता	1	
7	मुख्य लेखाधिकारी	1	
8	परियोजना निदेशक	–	1
9	उप निदेशक (प्रशासन)	1	
10	उप निदेशक (प्लान)		1
11	क्षेत्रीय उप निदेशक	6	–
12	जिला परियोजना अधिकारी	–	6
13	सहायक निदेशक	2	–
14	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1
15	लेखाधिकारी	2	
16	परियोजना अधिकारी	–	3
17	सहायक अभियंता	1	–
18	सहायक विधि परामर्शी	1	–
19	मुख्य विधि सहायक	1	–
20	जन सम्पर्क अधिकारी	––	1
21	भूमि एवं भवन कर अधिकारी		
22	निजी सचिव	1	
	योग– अ	**25**	**13**
	(ब) अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी		
1	विधि सहायक	3	–
2	सांख्यिकी सहायक	1	26
3	अन्वेषण सहायक	–	1
4	लेखाकार	11	
5	कनिष्ठ लेखाकार	3	3
6	संगणक	2	–
7	सिस्टम एनालिसिस्ट	1	–
8	प्रोग्रामर	1	
9	सहायक प्रोग्रामर	1	
	योग– ब	**23**	**30**
	(स) मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी		
1	कार्यालय अधीक्षक	1	1
2	वरिष्ठ निजी सहायक	1	–
3	कार्यालय सहायक	5	–
4	शीघ्र लिपिक	1	1
5	निजी सहायक	2	–
6	वरिष्ठ लिपिक	29	1
7	कनिष्ठ लिपिक	21	8
8	वाहन चालक	1	2
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ चौकीदार	13	8
10	मशीन मैन	1	–
11	जमादार	1	–
	योग–स	**76**	**21**
	महायोग अ+ब+स	**124**	**64**

परिशिष्ठ **III -A**

नगर निकायों के आय एवं व्यय के समंक वर्ष 2009–10

(लाख रू. में)

क्रं.स.	आय		व्यय	
	आय मद	**राशि**	**व्यय मद**	**राशि**
1.	भूमि एवं भवन कर	4005.50	सामान्य प्रशासन	22986.44
2.	चुंगी एवं मार्गस्थ शुल्क (कोटा में थर्मल व अन्य में कोर्ट केस की पुरानी वसूली)	809.50	कर वसूली	2221.53
3.	गाडियों पर कर	52.22	भूमि एवं भवन कर	1356.47
4.	यात्री कर	221.36	अन्य करों की वसूली	1261.79
5.	टर्मिनल टैक्स	11.77	सार्वजनिक हित एवं जन स्वास्थ्य (sanitation कार्यो पर व्यय)	62517.86
6.	नगरीय कर	2208.87	सार्वजनिक रक्षा (Fire एवं Flood पर व्यय)	3837.16
7.	मार्गस्थ शुल्क	4697.41	SFC से प्राप्तअनुदान से व्यय	3739.53
8.	अन्य कर	475.03	TFC से प्राप्तअनुदान से व्यय	1448.33
9.	उपविधियों से आय	8316.93	औषधालय	465.89
10.	सम्पत्तियों से आय	4645.45	बिजली	8932.91
11.	अधिनियमों के आय	3438.25	पानी	385.23
12.	शास्तियों से आय	905.02	पशुगृह	628.44
13.	वाटर वर्क्स से आय	206.65	शिक्षा	495.51
14.	विनियोजन पर ब्याज	951.50	उद्यान	2859.18
15.	सरकार द्वारा वार्षिक सामान्य अनुदान	2234.93	सार्वजनिक मरम्मत	5575.71
16.	विशेष अनुदान (नालियों व सडकों हेतु)	3399.12	विकास कार्य	81858.25
17.	चुंगी पुनर्भरण अनुदान	74716.33	नवीन सम्पति क्रय	1692.03
18.	विविध आय (आवर्तक)	9287.21	ऋणों की वापसी	4179.23
19.	भूमि विक्रय से आय	21293.47	विविध व्यय	22852.99
20.	विशिष्ट सहायता एवं ऋण	48797.27	**अन्तिम शेष**	**50537.25**
21.	विविध आय (अनावर्तक)	25509.43		
	प्रारंम्भिक शेष	**64123.54**		
	योग	**279831.73**		**279831.73**

परिशिष्ठ **III - B**

नगर निकायों के आय एवं व्यय के समंक वर्ष 2010–11

(लाख रू. में)

क्रं.स.	आय		व्यय	
	आय मद	**राशि**	**व्यय मद**	**राशि**
1.	भूमि एवं भवन कर	5724.53	सामान्य प्रशासन	23751.55
2.	चुंगी एवं मार्गस्थ शुल्क (कोटा में थर्मल व अन्य में कोर्ट केस की पुरानी वसूली)	1667.37	कर वसूली	1631.00
3.	गाडियों पर कर	84.15	भूमि एवं भवन कर	16895.91
4.	यात्री कर	312.48	अन्य करों की वसूली	5569.68
5.	टर्मिनल टैक्स	18.55	सार्वजनिक हित एवं जन स्वास्थ्य (sanitation कार्यो पर व्यय)	42141.10
6.	नगरीय कर	3155.59	सार्वजनिक रक्षा (Fire एवं Flood पर व्यय)	3117.61
7.	मार्गस्थ शुल्क	5323.39	SFC से प्राप्तअनुदान से व्यय	3568.98
8.	अन्य कर	996.09	TFC से प्राप्तअनुदान से व्यय	3361.70
9.	उपविधियों से आय	8983.34	औषधालय	70.44
10.	सम्पत्तियों से आय	4875.00	बिजली	6753.28
11.	अधिनियमों के आय	3887.52	पानी	343.53
12.	शास्तियों से आय	926.06	पशुगृह	695.06
13.	वाटर वर्क्स से आय	206.68	शिक्षा	466.06
14.	विनियोजन पर ब्याज	2051.38	उद्यान	2898.26
15.	सरकार द्वारा वार्षिक सामान्य अनुदान	2303.00	सार्वजनिक मरम्मत	3787.33
16.	विशेष अनुदान (नालियों व सडकों हेतु)	4088.41	विकास कार्य	50485.55
17.	चुंगी पुनर्भरण अनुदान	74100.67	नवीन सम्पति क्रय	1782.39
18.	विविध आय (आवर्तक)	7136.34	ऋणों की वापसी	7263.00
19.	भूमि विक्रय से आय	31056.00	विविध व्यय	23991.80
20.	विशिष्ट सहायता एवं ऋण	36718.54	**अन्तिम शेष**	**81653.45**
21.	विविध आय (अनावर्तक)	21675.93		
	प्रारंम्भिक शेष	**64937.85**		
	योग	**280228.13**		**280288.13**

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न./मोबाईल नं.		इ.पी.बी.एक्स एक्सटेंशन नं.
			कार्यालय	निवास	
1.	मा.मंत्री नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग	श्री शान्ति लाल धारीवाल	2227384	Fax No. 2374235 (M) 9929050044	701
2.	विशिष्ठ सहायक	श्री नवीन सक्सेना	2227384	(M) 9938006844	702
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव	श्री पी.के. देव (I.A.S.)	2227128	(M) 9571586000	
4.	PA to ACS (अतिरिक्त मुख्य सचिव) (UDH&LSG)	श्री पुंकेश शर्मा	2227128	(M) 9829092438	
5.	शासन सचिव (LSG)	डॉ.आर.वेंकटेश्वरन (I.A.S.)	2227077	Fax No. 2227587 (M) 9829211111	
6.	P.D. RUIDP	श्री वैभव गलरिया (IAS)	2721966	9829117511	
7.	E.D.RUIFDCO	डॉ.आर.वेंकटेश्वरन (I.A.S.)	2742240	9829211111	
8.	निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव	श्री टी.सी. मीना (R.A.S.)	2222805	Fax No. 2222403 (M)	721
9.	अति. निदेशक	श्री मनीष गोयल	2229314	Fax No. 2229314 (M)	724
10.	परियोजना निदेशक	श्री ए.के. जैन	2223239	2706438 Fax No. 2223239 (M) 9413337747	713
11.	मुख्य लेखाधिकारी	श्री देवराज सिंह	2222032	(M) 9414068368 0141–2212304	730
12.	अधीक्षण अभियंता	श्री के. के. शर्मा	2222469	(M) 9829194003 0141–2394648	739
13.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (नॉन प्लान)	श्री सुरेश चन्द्र	222607	(M) 941406673	
14.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्लान)	श्री के.डी. सभनानी	2223045	0141–2702614	715
15.	उप निदेशक (प्रशासन)	श्री नरसिंह	2222032	(M) 9983893094	726
16.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	श्री श्याम सिंह मीना	2226718	(M) 9414709950	718
17.	सहायक निदेशक(सतर्कता)	श्रीमती अन्जु कुमावत	2226738	(M) 9829044787	738
18.	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)	श्री नरेन्द्र द्विवेदी	2226719	7742335949	719
19.	सहायक विधि परामर्शी	श्री प्रभु सिंह राठौड़	2226716	(M) 9309304246 old.9314147887	716
20.	मुख्य विधि सहायक	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	2226717	(M) 9024741386	717
21.	जन सम्पर्क अधिकारी	श्री राम प्रसाद जाट	2226706	(M) 8829962356	706
22.	CMAR	श्री श्रवण कुमार सेजू	2229966	9602828398 Fax No. 2229966	763

क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर

क्र. सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न./मोबाईल नं.		इ.पी.बी.एक्स एक्सटेंशन नं.
			कार्यालय	निवास	
1.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) जयपुर	श्री राकेश राजोरिया	0141–2361366	(M) 9414606366	0141–2361366
2.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) जोधपुर	श्री जुगल किशोर मीणा	0291–2651461	(M) 9784000510	0291–2651461
3.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) कोटा	श्री कल्पना अग्रवाल	0744–2382207	(M) 9419918811	0744–2382207 0744–2381661
4.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) उदयपुर	श्री दिनेश चन्द्र कोठारी	0294–2421362	(M) 9414164121	0294–212362
5.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) बीकानेर	श्री राजीव कुमार भाकल	0151–2546539	(M) 9414136820	0151–2226906
6.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) अजमेर	श्रीमती सीमा शर्मा	0145–2426716	(M) 9414003206	0145–2426716

स्वायत्त शासन विभाग का प्रशासनिक संगठन

माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग
शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर

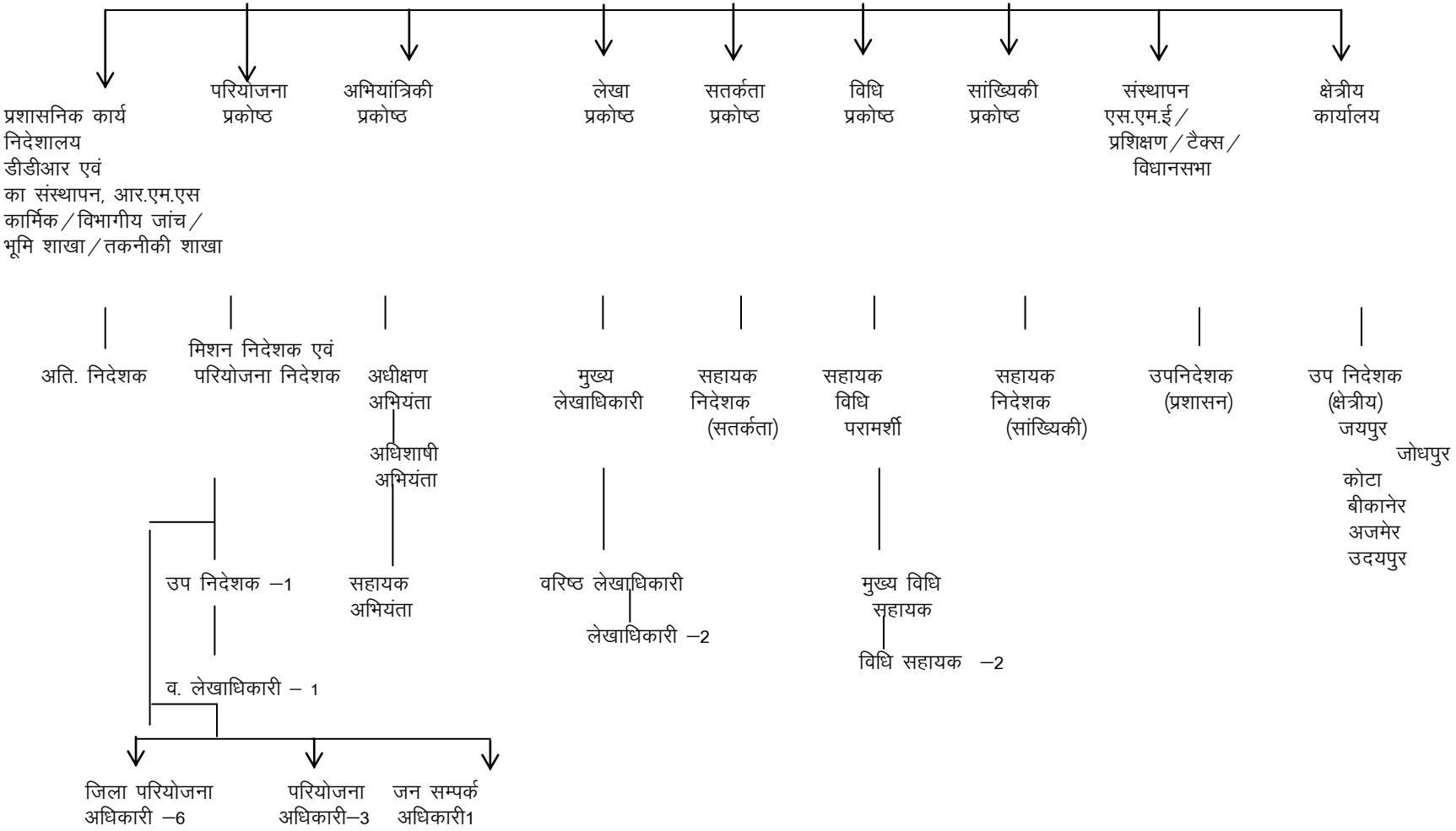

नगर निकाय स्तर

निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
5	13	166
(5 लाख से अधिक जनसंख्या)	(1 लाख से अधिक जनसंख्या)	
मेयर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सभापति / आयुक्त	अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी